BY SPEED POST/ BY HAND

F. No. 29-1/MYAS/MDSD/2017 Government of India Ministry of Youth Affairs & Sports Department of Sports Mission Directorate – Sports Development

Cafeteria Building, Pragati Vihar Hostel,

CGO Complex, Lodhi Road,

New Delhi- 110003,

Dated: 16th October, 2017.

To

Principal Secretary/ Secretary in charge of sports of States/UTs
Secretary of Sports Authority /Sports Council of States/UTs
Subject: Khelo India – National Programme for Development of Sports Scheme.

Sir/Madam,

The undersigned is directed to state that the Khelo India – National Programme for Development of Sports Scheme, being implemented by this Ministry in the year 2016-17 has since been revised and the revamped scheme has been approved by the Union Cabinet and e-published in Gazette of India on 14.10.2017.

- 2. A copy of the Gazette Notification (both Hindi version and English version) of Khelo India scheme is enclosed. The same is available in this Ministry's website www.yas.nic.in > Khelo India.
- 3. Operational Guidelines will follow.

Yours faithfully,

Encl: As stated.

(Arun Kumar Singh)

Under Secretary to the Govt. of India

Tele No. (011) 24361823

Copy to (with enclosure):

- 1. Secretary (Expenditure), Ministry of Finance, Room No. 129-A, North Block, New Delhi- 110001.
- 2. CEO, NITI Aayog, Yojana Bhawan, Parliament Street, New Delhi 110001.

3. AS&FA, Ministry of Youth Affairs & Sports.

4. Secretary, Sports Authority of India, Near Jawahar Lal Nehru Stadium, Lodhi Road, New Delhi- 110003.

(Arun Kumar Singh)

Under Secretary to the Govt. of India

Copy also to (with enclosure):

- 1. PS to MoS (I/C), YAS
- 2. PS to Secretary (Sports).
- 3. Director (VN).
- 4. All Project Officers of Mission Directorate Sports Development.

(Arun Kumar Singh)

Under Secretary to the Govt. of India

United an Using Using The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 14—अक्तूबर 20, 2017 (आश्विन 22, 1939)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 14—OCTOBER 20, 2017 (ASVINA 22, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची									
	पृष्ठ सं.	पृष्ठ	सं.						
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के		छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक							
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की		आदेश और अधिसूचनाएं	*						
गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा		भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों							
संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	719	(जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय							
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के		प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को							
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की		छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक							
गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों,		नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य							
पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में		स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी							
अधिसूचनाएं	923	प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत							
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों		के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित							
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में		होते हैं)	*						
अधिसूचनाएं	11	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक							
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी		नियम और आदेश	*						
अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों,		भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और							
छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1835	महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल							
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध							
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों		और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई							
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	अधिसूचनाएं220	45						
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों		भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और							
के बिल तथा रिपोर्ट	*	डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*						
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों		भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन							
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय		अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*						
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों							
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक		द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन							
नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और		और नोटिस शामिल हैं27	59						
उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों							
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों		द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 18	17						
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों							
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		को दर्शाने वाला सम्पूरक	*						

CONTENTS

	Page		Page
Part I—Section 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	Page No.	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) Part II—Section 3—Sub-Section (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by	No.
by the Supreme Court Part I—Section 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	923	Central Authorities (other than Administration of Union Territories) Part II—Section 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
Part I—Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1835	Part III—Section 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the	22045
Part II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	Part III—Section 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	×
Part II—Section 3—Sub-Section (i)—General Statutory Rules (including Orders, Byelaws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	Part III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners Part III—Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	* 2759
Part II—Section 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and	*	Individuals and Private Bodies Part V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	1817

^{*}Folios not received.

भाग I— खण्ड 1 [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्तूबर 2017

सं. 6(35)-बी(आर)/2017—भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने श्री राजीव महर्षि को 25 सितंबर, 2017 से भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निय्क्त किया है।

> प्रशांत गोयल संयुक्त सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 अक्तूबर 2017

विषय: प्नर्सरचित "खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम" के कार्यान्वयन के संबंध में।

- सं. 29-1/एमवाईएएस/एमडीएसडी/2017—खेलों में व्यापक भागीदारी तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल ने 20.09.2017 को आयोजित अपनी बैठक में पुनर्संरचित "खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम" को अपना अनुमोदन प्रदान किया।
- 2. पुरर्सरचित खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य सम्पूर्ण खेल ईकोसिस्टम को बल देते हुए उपरोक्त खेल विकास के दोहरे राष्ट्रीय उद्देश्यों को बढ़ावा देना है जिसमें खेल मैदान विकास, सामुदायिक कोचिंग विकास; सामुदायिक खेलों को बढ़ावा देना; स्कूल और यूनिवर्सिटी दोनों स्तर पर एक सुस्पष्ट खेल प्रतियोगिता संरचना तैयार करना; विकलांगों तथा महिला खेलों हेतु ग्रामीण/देशज खेलों की स्थापना करना; चयनित यूनिवर्सिटियों में खेल उत्कृष्टता के केन्द्रों का सृजन करना समेत खेल अवसंरचना में आई नाजुक किमयों को पूरा करना; प्रतिभा पहचान और विकास; खेल अकादिमयों को सहायता देना; स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस ड्राइव कार्यान्वित करना, तथा शांति और विकास के लिए खेलों का आयोजन करना है।
- 3. यह स्कीम एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) का प्रावधान करती है जो स्कीम के अंतर्गत प्राप्त सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी तथा उसे विभागीय परियोजना अनुमोदन समिति (डीएपीसी) के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। अनुमोदित परियोजना तीसरी पार्टी निगरानी समेत कड़ी निगरानी के अध्यधीन होगी, जिसके लिए राज्य स्तर मॉनीटर नियुक्त किए जाएंगे।
- 4. यह सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली सामान्य परिषद् (जीसी) द्वारा संचालित किया जाएगा, जो स्कीम के कार्यान्वयन हेतु उच्चतम नीति निर्धारक निकाय के रूप में कार्य करेगा। इस सामान्य परिषद् को खेलों के संघ सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर कार्यकारी समिति (एनएलईसी) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- 5. तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के उद्देश्य हेतु स्कीम के पास एक कॉर्पस फंड होगा जिसे राष्ट्रीय अभियान, प्रचार और कार्य-कलाप जागरुकता, गतिविधियों आदि का संचालन करने के लिए व्यावसायिक तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु उपयोग में लाया जाएगा।
- 6. स्कीम में पर्याप्त लचीलापन है, जो घटकों के बीच पुन:विनियोग को प्राधिकार प्रदान करता है। स्कीम हेतु वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अविध के लिए बजट आवंटन 1756 करोड़ रुपये है।

- 7. यह स्कीम पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करती है तथा कार्पोरेट सोशल रिस्पोन्सीबिलीटी (सीएसआई) गतिविधियों तथा लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) गतिविधियों से अभिसरण भी उपलब्ध कराती है।
 - 8. इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं का चयन च्नौतीपूर्ण प्रणाली सहित, संत्लित चयन मापदंड द्वारा किया जाएगा।
- 9. मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संपूर्ण स्कीम को, जो संलग्न है, को तुरंत प्रभाव से कार्यान्वित करने हेतु इस तारीख से अधिसूचित किया जाता है।

इंजेटि श्रीनिवास सचिव

"खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम"

1.1 दृष्टि

देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेत्।

1.2 मिशन

पूरे देश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार जनसंख्या अपने क्रॉस-कटिंग के प्रभाव के माध्यम से खेल की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है, अर्थात बच्चों और युवाओं के समग्र विकास, सामुदायिक विकास, सामाजिक एकीकरण, लिंग समानता, स्वस्थ जीवन शैली, राष्ट्रीय गौरव और खेल के विकास से संबंधित आर्थिक अवसर प्रदान करना।

- 1.3 योजना के घटक : खेलो इंडिया स्कीम में निम्नलिखित घटकों/उद्देश्यों को शामिल किया जाएगा :
 - i. खेल मैदान विकास
 - ii. साम्दायिक कोचिंग विकास
 - iii. राज्य स्तर खेलो इंडिया केंद्र
 - iv. वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं
 - v. प्रतिभा खोज और विकास
 - vi. खेल अवसंरचना का उपयोग और मृजन/उन्नयन
 - vii. राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य खेल अकादमियों को सहायता
 - viii. स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक फिटनेस
 - ix. महिलाओं के लिए खेल
 - x. विकलांग लोगों के बीच खेल का संबर्द्धन
 - xi. शांति और विकास के लिए खेल
 - xii. ग्रामीण और स्वदेशी/जनजातीय खेलों को प्रोत्साहन
- 1.3.1 खेल मैदान विकास :—
- 1.3.1.1 खेल के मैदानों और खेल अवसंरचना की एक राष्ट्रीय सूची तैयार की जाएगी, जो उनके इष्टतम उपयोग के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मंच पर तैयार की जाएगी। खेल मैदान, राज्य और जिला खेल मैदान एसोसिएशनों के संरक्षण, विकास और खेल मैदानों को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत संस्थागत-तंत्र बनाने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय खेल मैदान एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनपीएफएआई) की तर्ज पर बनाया जाएगा। जिला और राज्य स्तर एसोसिएशन, विद्यमान खेल क्षेत्रों को पंजीकृत कर लेगा, उन्हें जीआईएस मंच पर मैप करेगा। राष्ट्रीय खेल मैदान एसोसिएशन (एनपीएफएआई) के साथ जिला और राज्य एसोसिएशन के माध्यम से उन्हें संबद्ध करें, जिससे एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार हो।
- 1.3.1.2 एनपीएफएआई को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में फरवरी, 2009 में एक सोसाइटी समाज के रूप में पंजीकृत किया गया है। राज्य स्तर पर और साथ ही जिला स्तर पर खेल मैदान एसोसिएशन स्थापित करने के लिए राज्यों को 50 लाख रुपये प्रदान किया जा रहा है। जिला स्तर पर यह खेल मैदान जिला स्तर खेल मैदानों के साथ पंजीकृत होंगे, जो बाद में राज्य स्तर के खेल मैदान एसोसिएशन से संबद्ध होगा और जो एनपीएफएआई से संबद्ध होगा।
- 1.3.1.3 सभी ग्राम पंचायतों के खेल के मैदानों का विकास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरजीएस) की योजना और राज्य सरकार/केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के साथ अभिसरण में किया जा सकता है। इस तरह के अभिसरण के

माध्यम से विकसित किए जाने वाले आधुनिक खेल मैदान में चेंज रुम, पेयजल सुविधाएं, जैव-शौचालय इत्यादि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उपयुक्त परामर्श जारी किया जाएगा।

- 1.3.1.4 फंडिंग: एनपीएफएआई का मंच सामुदायिक खेल आवश्यकताओं के लिए खुले खेल स्थान के संरक्षण और प्रचार के लिए लीवरेज किया जाएगा। यदि एक राज्य खेल मैदान एसोसिएशन पहले से ही संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, तो खेल मैदान एसोसिएशन की स्थापना के लिए आकार और आबादी के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 50 लाख रुपये तक का एक बार सीड राशि दी जाएगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 12 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से और साथ ही राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में मॉडल के खेतों के विकास के लिए इस तरह के संघों के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए फंड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि तय की जाएगी।
- 1.3.1.5 कार्यान्वयन एजेंसी: खेल विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। खेल मैदान/अनौपचारिक खेल क्षेत्रों के मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने के द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। जिला और राज्य स्तर खेल मैदान एसोसिएशन की स्थापना विशिष्ट मानकों के अनुसार खेल मैदान का विकास संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा।
- 1.3.2 साम्दायिक कोचिंग विकास:
- 1.3.2.1 देश भर में सामुदायिक कोच विकास के लिए सामुदायिक कोच विकास का एक व्यापक मॉडल अपनाया जाएगा। इसमें कौशल विकास और प्रमाणन प्रणाली शामिल होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि देश में 1.5 मिलियन से अधिक विद्यालयों में करीब पांच लाख शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीईटी) कार्यरत है। एक अल्पाविध सामुदायिक कोचिंग विकास कार्यक्रम विकसित किया जाएगा और पहचाने गए पीईटी, मास्टर प्रशिक्षुओं के रूप में प्रशिक्षित होंगे। सामुदायिक कोच विकास के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्राथमिक और उन्नत स्तर पर भी विकसित किए जाएंगे। इसमें योग्यता के स्तर पर आधारित कोच प्रत्यायन प्रणाली होगी। जहां तक तकनीकी अधिकारियों यथा अंपायर और रेफरी का प्रश्न है, उन्हें इस विभाग द्वारा कार्यान्वित मौजूदा मानव संसाधन विकास स्कीम के अंतर्गत क्षमता विकास कार्यक्रमों दवारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- 1.3.2.2 सामुदायिक कोचों के प्रेरण और उपयोग के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी। विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ अभ्यासों के अनुसार मान्यता प्रदान की जाएगी। लगभग 2000 पीईटी/स्वयंसेवकों को प्रति वर्ष मास्टर ट्रेनर्स के रूप में विकसित किया जाएगा, जो प्रति वर्ष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से दूसरे पीईटी/स्वयंसेवकों को सामुदायिक कोच के रूप में प्रशिक्षित करेगा और सामुदायिक स्तर पर टीमों का विकास करेगा।

1.3.2.3 फंडिंग:

- क. सामग्री विकास: पहले वर्ष में, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के माध्यम से, पाठ्यचर्या, शिक्षण पद्धतियां, उपकरण-किट, ऑनलाइन संसाधनों आदि के विकास के लिए रु. 5.00 करोड़ की राशि अलग रखी जाएगी।
- ख. प्रशिक्षण: मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में पीईटी/स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, यात्रा, आवास, सामग्री विकास, प्रशिक्षण सामग्री, संकाय प्रभार आदि पर खर्च पर जोर देता है और अनुमान है कि इस प्रशिक्षण पर प्रति मास्टर ट्रेनर पर 1,00,000/- का व्यय होगा। प्रशिक्षण पर लगभग 2000 पीईटी/स्वयंसेवकों को वार्षिक 25 करोड़ रुपये के वार्षिक वित्तीय पोषण में मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 1.3.2.4 कार्यान्वयन एजेंसी: लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के संस्थान, मास्टर ट्रेनर्स के लिए सामग्री और अन्य प्रोटोकॉल के साथ-साथ आचरण प्रशिक्षण भी विकसित करेंगे।
- 1.3.3 राज्य स्तर खेलो इंडिया केंद्र:
- 1.3.3.1 प्रशिक्षकों/अंशकालिक प्रशिक्षकों की कमी सहायता अमले साथ ही आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण पूरे देश में बड़ी संख्या में खेल अवसंरचना का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट और माईसाइजर्स, उपकरण, खेलने का उचित क्षेत्र, उपभोज्य पदार्थ, डे-बोर्डिंग सुविधाएं आदि। तदनुसार, यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के खेल अवसंरचना के बेहतर उपयोग को समझने हेतु उपयुक्त समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से और कोचों के परियोजन हेतु सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को डे-बोर्डिंग के अनुसार डे-बोर्डिंग सुविधाएं प्रदान करना योजना, प्रशिक्षुओं को वृत्तिका आदि उपलब्ध कराना है। इस घटक का क्रियान्वयन साई के माध्यम से किया जाना है। इन्हें साई की मौजूदा विस्तार केंद्र योजना की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। 'खेल पाठशाला' के माध्यम से ऑनलाइन खेल कोचिंग और शिक्षा भी प्रदान की जाएगी।

- 1.3.3.2 इन केन्द्रों की आवर्ती लागतों के सतत वित्तपोषण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) और कारपोरेट हाऊस के माध्यम से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) एक साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग से इस परियोजना को पूरा करने के प्रयासों को एक साथ कर देगा।
- 1.3.3.3 फंडिंग: ये प्रत्येक राज्य स्तर खेलो इंडिया केन्द्र को प्रिश्तिक/अंशकालिक कोचों की परियोजना के उद्देश्य से एक वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। उपकरण, खेल के उचित क्षेत्र, उपभोज्य वस्तुओं, डे बोर्डिंग सुविधाओं, फिजियोथेरेपिस्ट आदि पर व्यय, साथ ही लाभार्थी सहायता, मरम्मत और रखरखाव सहित आवर्ती व्यय के लिए आवश्यकताएं भी शामिल हैं। एक मेगा सेंटर में 3 करोड़ रुपये तक की लागत आएगी, जबिक एक छोटे से केंद्र में 0.75 करोड़ रुपये तक का निहितार्थ होगा। एक सामान्य केंद्र के लिए औसत लागत अनुमान के रूप में 1.50 करोड़ को माना गया है। सभी खेलो इंडिया केंद्र प्रमुख रूप से खेलो इंडिया ब्रांडिंग प्रदर्शित करेंगे। इसके अतिरिक्त, मुख्य रूप से स्कूलों और कॉलेजों में विस्तार केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तपोषण भी प्रदान किया जाएगा, जो साई विस्तार केंद्र योजना पर आधारित होगा।
- 1.3.3.4 कार्यान्वयन एजेंसी: कोचों के वियोजन के लिए विशेषज्ञता प्रदान करते हुए, उपकरण के मानक और उपभोज्य, लाभार्थी सहायता की मात्रा और इसके मानदंड इत्यादि पर निर्णय लेने के लिए, साई द्वारा प्रदान किए गए, रखरखाव और मरम्मत सहित केंद्रों के प्रबंधन की संयुक्त जिम्मेदारी राज्य सरकार और भारत सरकार/साई के प्रतिनिधियों की है।
- 1.3.4 वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं:
- 1.3.4.1 खेलो इंडिया खेल कौशल का प्रदर्शन करने के लिए मूल मंच होगा और तदनुसार उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विकास के रास्ते उपलब्ध कराने और प्रतिभा के लिए एक मंच बन जाएगा। उच्च प्राथमिकता/प्राथमिकता वाली खेल विधाओं, जैसे तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडिमंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, शतरंज, साइक्लिंग, फुटबॉल, जिमनास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबइडी, कराटे, खो-खो, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, तायक्वोंडो, टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु के संबंध में केंद्र सरकार निम्नलिखित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं, अर्थात् खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्कूल खेल और खेलो इंडिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल का देश भर के विभिन्न स्थानों पर आयोजन करेगा।
- 1.3.4.2 इन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) और भारतीय स्कूल खेल परिसंघ (एसजीएफआई) और यूनिवर्सिटी खेल संवर्धनिनकाय को भारतीय विश्वविद्यालयों की एसोसिएशन (एआईयू) से जोड़कर ओलंपिक आंदोलन की सच्ची भावना में संगठित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्कूल खेल और खेल में पहचाने जाने वाले प्रतिभा पूल प्रतिभा खोज और विकास कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश होगा जिसके लिए उपयुक्त मानदंड कार्यक्रम दिशानिर्देशों हेतु बनाया जाएगा। स्कूल और विश्वविद्यालय लीग की प्रणाली देश भर में प्रमुख टीम खेलों में बड़ी भागीदारी और प्रतियोगिता बनाने हेत् आंरभ की जाएगी।
- 1.3.4.3 राज्य/संघ राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न जिला और राज्य स्तरीय खेलों एसोसिएशनों/पिरसंघों को संबद्ध करके स्वयं पहचान की गई खेल विधाओं में निचले स्तर की प्रतियोगिताओं का संचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 1.3.4.4 खेल के मैदानों की माप, किसी खेल के लिए आवश्यक उपस्करों सिहत विभिन्न खेलों को खेलने के तरीके तथा उनसे संबंधित जरूरी नियमों और विनियमों के बारे में एक मोबाइल एपलीकेशन का विकास किया जाएगा ताकि इन सभी तक खिलाड़ियों और कोचों के साथ-साथ आम जनता की भी पहुंच होगी जिससे सभी लोग खेल-कूद की बुनियादी बातों के बारे में जान सकेंगे और खेलों तक उनकी पहुंच बिना किसी भेदभाव के होगी।
- 1.3.4.5 सेना और अर्द्धसैनिक बलों जिनके पास बेहतर खेल अवसंरचना है, में खेलों को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए समुचित नीतियों का निर्माण किया जाएगा।
- 1.3.4.6 खेलो इंडिया केंद्रों तथा उत्कृष्टता और प्रतियोगिता केंद्रों पर विभिन्न स्तरों पर फिजियोथेरेपिस्ट तथा आहारविदों की नियुक्ति कर उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।
- 1.3.4.7 खेल उपस्कर उद्योग को सस्ते खेल उपस्करों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, खेल विभाग भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ खेल उपस्करों के मानकीकरण और उनके उपयोग (सहभागी/प्रतियोगी) तथा प्रतियोगिताओं के स्तर पर आधारित उपयुक्त विनिर्देशन के मुद्दे को उठाएगा।
- 1.3.4.8 फंडिंग: इन प्रतियोगिताओं को ओलंपिक मूवमेंट की सच्ची भावना में भारतीय ओलंपिक संघ और सहभागिता वाले राष्ट्रीय खेल परिसंघों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिताओं का प्रत्येक सेट 10,000 एथलीटों और अधिकारियों की भागीदारी होगी। तदनुसार, प्रतियोगिताओं के प्रत्येक सेट के संचालन के लिए 35 करोड़ रुपये की वार्षिक राशि निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार,

70 करोड़ रुपये की राशि प्रति वर्ष आवश्यकता होगी। अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकताएं, यदि कोई हो, सीएसआर सहायता को जुटाने के माध्यम से मिलेगी।

1.3.4.9 कार्यान्वयन एजेंसी: प्रतियोगिताओं का तकनीकी संचालन भाग लेने वाले राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा एसजीएफआई या एआईयू/विश्वविद्यालय खेल बोर्ड या उनके खेल निकाय के सहयोग से, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा । खेलों के सुचारू संचालन और डिलिवरी के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, एनएसएफ, एसजीएफआई/एआईयू या उनके खेल निकायों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के प्रतिनिधियों का आयोजन करने वाली एक आयोजन समिति का गठन किया जाएगा। वित्तीय सहायता प्रदान करना और प्रतियोगिताओं के संचालन से संबंधित सभी पहलुओं की समग्र निगरानी खेल विभाग की जिम्मेदारी होगी।

1.3.5 प्रतिभा की पहचान और विकास

1.3.5.1 खेल इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, और साई का राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज स्कीम पोर्टल के अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और एनएसएफ से जुड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, प्राथमिकता वाले खेल विषयों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्राथमिकता एक पहचान के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा जिसमें देश को संभावित लाभ हो। पुरस्कार विजेताओं के चयन के अतिरिक्त, विधिवत गठित प्रतिभा पहचान समिति, विभिन्न खेल विधाओं में मोंके पर जाकर प्रतिभा को पहचानना और विश्व स्तर पर स्वीकृत वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना भी सकती है। खेल इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, और साई का राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज स्कीम पोर्टल के अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और एनएसएफ से जुड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, प्राथमिकता वाले खेल विषयों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्राथमिकता एक पहचान के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा जिसमें देश को संभावित लाभ हो। पुरस्कार विजेताओं के चयन के अतिरिक्त, विधिवत गठित प्रतिभा पहचान समिति, विभिन्न खेल विधाओं में मोंके पर जाकर प्रतिभा को पहचानना और विश्व स्तर पर स्वीकृत वैज्ञानिक तरीकों को अपना भी सकती है। प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन और वैज्ञानिक रूप से अभिकल्पित अनेक परीक्षणों के द्वारा किए गए मूल्यांकन के माध्यम से निष्पक्ष रूप से की जाएगी। इसके अलावा, हाल ही में एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज पोर्टल शुरू किया गया है जो वैयक्तिक उपलब्धियों को आसानी से अपलोड करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त दूर-दराज के क्षेत्रों के प्रतिभा वी पहचान बेहतर ढंग से करने के लिए वैज्ञानिक मूल्यांकन करने हेतु गुजरात मोबाइल वैन मॉडल को अपनाया जाएगा। प्रतिभा की पहचान के अभियान के दौरान देशज खेलों सहित खेल विधा-वार प्रतिभा केंद्रों की पहचान कर इनकी विधिवत व्यवस्था की जाएगी। इन क्षेत्रों में खेल अकादमियों के माध्यम से इस प्रकार के खेल विधा-वार प्रतिभा केंद्रों की लिए विशेष कार्यक्रमों के आयोजन के प्रयास किए जाएंगे।

1.3.5.2 विभिन्न स्तरों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता वाले खेल विषयों में पहचाने जाने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से, उन खेल विधाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की पहचान उच्च पाँवर कमेटी द्वारा की जाएगी और प्रत्येक वर्ष 5 लाख रूपए की वार्षिक दर से एक दीर्घाविध एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत 8 वर्ष की अविध हेतु वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किसी व्यक्ति एथलीट को सतत सहायता जारी रखने से संबंधित खेल अनुशासन में उसकी प्रगति/प्रदर्शन के अध्यधीन होगा, सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वालों को सुनिश्चित करना, उच्चतम स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सतत् सहायता और गैर-निष्पादक/गैर उपार्जक को प्रणाली से बाहर ले जाया जाना चाहिए। यह एक बड़े बेंच मनोबल को सुनिश्चित करेगा जैसा कि देश में वर्तमान में कमी है। अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता, यदि कोई हो, सीएसआर सहायता को जुटाने के माध्यम से मिलेगी।

1.3.5.3 फंडिंग: ऑनलाइन पोर्टल के रखरखाव, विभिन्न प्रकार के माध्यम से खेल की प्रतिभा की पहचान करने, उन्नत वैज्ञानिक रूपरेखा, प्रतिभाओं की लघु सूची और समर्थन प्रदान करने तथा सर्वोत्तम प्रतिभा की सिफारिश सिहत सहायता उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक रूप से 10 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जाएगी। खेल प्रतिभा की पहचान में प्रतिभा स्काउट्स (प्रयोजन हेतु विनियोजित), द्वारा लगभग 50,000 से 1,00,000 बच्चों को शामिल करने वाले पान इंडिया परीक्षणों का संचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलकर शामिल होगा। दीर्घाविध एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत पहचाने जाने वाले एथलीटों के लिए, 8 वर्ष की अविध हेतु 1000 एथलीटों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की वार्षिक दर से वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार, 60 करोड़ रुपये की वार्षिक वित्तीय यस्तुएं और उपकरण, खेल पोषण सहायता, खेल विज्ञान सहायता आदि प्रतिभा प्रशिक्षण के लिए 50 करोड़ रुपये और ऑनलाइन पोर्टल के रखरखाव, वैज्ञानिक परीक्षणों आदि के माध्यम से प्रतिभा की पहचान, प्रोफाइलिंग आदि हेतु 10 करोड़ रुपये रखे जाएंगे)। दूसरे वर्ष में, जब 1000 अतिरिक्त एथेलीट जोड़े जाते हैं, तो 110 करोड़ रुपये (एथेलिटों हेतु पहले वर्ष और दूसरे वर्ष उनके प्रतिभा प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक 50 करोड़ रुपये रखे जाएंगे और 10 करोड़ प्रतिभा खोज और विकास पर खर्च किए जायेगें। यह व्यय उपरोक्त उल्लेखित घटकों पर होगा और एथेलिट को कोई शुल्क/छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।

1.3.5.4 कार्यान्वयन एजेंसी: खेल विभाग वित्तीय सहायता प्रदान करेगा साथ ही समग्र मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और निगरानी करेगा। कार्यान्वयन साई के माध्यम से किया जाएगा और इसमें राज्य सरकारों के साथ-साथ प्रतिष्ठित एथलीटों और निजी निकाय शामिल होंगे। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

1.3.6 खेल अवसंरचना का उपयोग और सृजन/उन्नयन

1.3.6.1 अधिकांश स्कूलो, कॉलेजों और यहां तक कि यूनिवर्सिटियों में उपयुक्त खेल मैदान और साथ ही देश में खेल अवसंरचना की कमी है। पूरे देश में मौजूदा उपलब्ध खेल अवसंरचना का उपयोग विशेषकर केंद्र सरकार/राज्य सरकारों के नियंत्रण में होने वाले प्रयासों के लिए किया जाएगा। देश भर में खेल अवसंरचना की उपलब्धता में अंतराल की पहचान करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाएगा और खेलो इंडिया के अंतर्गत सहायता के साथ इन किमयों को पूरा किया जाएगा। उसी समय से, विभिन्न राज्यों में उत्कृष्टता केंद्रों का सजृन भी पूरे राज्य में किया जाएगा, प्रत्येक राज्य में मॉडल खेल की सुविधाएं तैयार की जाएंगी और राज्यों को इन सुविधाओं को राज्य में कहीं और दोहराने के लिए कहा जाएगा जहां अवसंरचना में अंतर है। इसके अतिरिक्त, पारदर्शी बोली प्रक्रियाओं के आधार पर मौजूदा खेल अवसंरचना को निजी निकायों को बाहर करने के लिए जारी किया जाएगा ताकि मौजूदा खेल अवसंरचना का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही पर्याप्त राजस्व पैदा हो सके।

1.3.6.2 इस घटक में निम्नलिखित दो उप घटक होंगे:

- i. उत्कृष्टता कार्यक्रम के यूनिवर्सिटी केंद्र: इस घटक के अंतर्गत, अवसंरचना, उपकरण, जिम और उपकरण, रिकवरी उपकरण, कोच तैनाती, कोचों हेतु प्रशिक्षण, टीम का विकास, टीमों के लिए प्रशिक्षण शिविर, विस्तार केंद्र खोलना और यूनिवर्सिटी के खेल केंद्र, लीग विकास, खेल विज्ञान बैक-अप, आदि पहचान यूनिवर्सिटी हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि यूनिवर्सिटी में खेल हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) संचालन समिति में य्वा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय शामिल हैं।
- ii. उपयुक्त खेल अवसंरचना तैयार करना: इस घटक के अंतर्गत, महत्वपूर्ण खेल अवसंरचना का विकास करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, साई आदि को जहां अंतर है, सहायता प्रदान की जाएगी। खेल अवसंरचना के निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका का पता लगाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इन्फ्रुमेंट सुविधाओं को एक पात्र अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। खेल अवसंरचना को गम्भीर अंतराल वाले राज्यों जिनमें उपयोगिता की क्षमता और चुनौती मोड है, को खेल अवसंरचना के पेशकश की जाएगी। खेल विज्ञान और खेल उपकरणों के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- 1.3.6.3 खेलो इंडिया की स्कीम भी संसद के स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना के सदस्यों के साथ अभिसरित की जाएगी। राज्य भी अपने संबंधित विधान सभा स्थानीय क्षेत्र विकास (एमएलएएलएडी) योजनाओं में एक समान प्रावधान करने पर विचार कर सकते हैं तािक विधान सभा सदस्य अपने एमएलएएलएडी फंड से संबंधित राज्य में खेल अवसंरचना के विकास हेतु योगदान करने के लिए सक्षम हो सके।
- 1.3.6.4 खेलों में पात्र संस्थाओं से प्राप्त खेल अवसंरचना के प्रस्तावों की खेलो इंडिया के तहत दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।
- 1.3.6.5 इस योजना के तहत बनाई गई खेल अवसंरचना का उपयोग भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। एक ज्ञापन समझौता (एमओयू) पर साई और अनुदानकर्ता के बीच हस्ताक्षर किया जाएगा तािक आवश्यक रूप से साई द्वारा खेल अवसंरचना का उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुदानकर्ता अवसंरचना का विवेकानुसार उपयोग भी करता है। खाली समय के दौरान, स्कूलों, कॉलेजों, पड़ौसी समुदायों और खेल एसोसिएशन के उपयोग के लिए स्विधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- 1.3.6.6 कुछ राज्यों के पास अपने स्वयं के स्पोर्ट्स स्कूल होते हैं जो इस तरह के प्रतिभाशाली खेल व्यक्तियों के प्रवेश के उद्देश्य से सूचीबद्ध होंगे।
- 1.3.6.7 प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थाओं के अर्थात् नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएसएनआईएस), पिटयाला और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) ग्वालियर, को मानदंड विकसित करने, प्रशिक्षण देने चयनित किए गए खिलाड़ियों को उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण में परामर्श देने, व्यायाम आहार, खेल पोषण, खेल विज्ञान बैकअप, मनोवैज्ञानिक प्रदान करने, खेल स्कीम आदि के क्षेत्र में लिंक किया जाएगा। उपर्युक्त पैरा 1.3.4.1 में उल्लिखित उच्च प्राथमिकता/प्राथमिकता वाली खेल विधाओं पर ध्यान दिया जाएगा।
- 1.3.6.8 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में प्रवेश के लिए खेल स्कूल, खेल अकादमी, खेल कॉलेज/यूनिवर्सिटीयों का चयन उपयुक्त मानदंड या एक चुनौती मॉडल के माध्यम से किया जाएगा।

- 1.3.6.9 फंडिंग: 50 करोड़ रुपए की राशि (प्रति यूनिवर्सिटी की अनुमानित लागत का 25 करोड़ रूपये, जो वास्तविक आवश्यकता आधार पर प्रति यूनिवर्सिटी 50 करोड़ रुपये तक जा सकता है) खेल के उत्कृष्टता केंद्रों के सहायता हेतु निर्धारित है। यूजीसी से पूरक सहायता के साथ प्रति वर्ष 4 ऐसे केंद्रों की स्थापना प्रस्तावित की जाती है। ये केन्द्र यूनिवर्सिटी एथेलीट साथ ही राष्ट्रीय स्तर एथेलीट दोनों का प्रबंध करेगा। खेल अवसंरचना के अंतराल को दूर करने के लिए अन्य खेलों की अवसंरचना हेतु फंडिंग के लिए प्रति वर्ष 95 करोड़ रुपये निर्धारित किए जाएंगे।
- 1.3.6.10 कार्यान्वयन एजेंसी: खेल विभाग, फंडिंग प्रदान करेगा, जबिक परियोजना के निष्पादन को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय/साई के माध्यम से किया जाएगा।
- 1.3.7 राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य खेल अकादमियों के लिए सहायता
- 1.3.7.1 पहचान की गई खेल प्रतिभा को निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित साई राष्ट्रीय खेल अकादमी, राज्य खेल अकादमी या खेल अकादमी में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण, राज्य सरकारों या निजी क्षेत्र या खिलाड़ियों को लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत पहचाने जाने वाले विषयों के संबंध में खेल अकादिमयों की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए दीर्घाविध टर्म एथलीट विकास (एलटीएडी) कार्यक्रम (8 वर्षों के लिए) सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोत्तम अकादिमी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हो सकती हैं। उपयुक्त संस्थाओं के प्रस्तावों को आमंत्रित करके, अकादिमयों को आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों के लिए, ज़रूरत-आधारित सहायता के लिए पहचाना जाएगा। सहायता के लिए उपयुक्त अकादिमी के चयन की सुविधा के लिए शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी। पैरा एथलीटों के लिए कम से कम एक अकादिमी का समर्थन किया जाएगा।
- 1.3.7.2 स्कूलों और यूनिवर्सिटी के साथ निकट समन्वय किया जाएगा ताकि खेल अवसंरचना प्रशिक्षण और उपयोग के उद्देश्य से उपयुक्त प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अकादमी, प्रशिक्षण और खेल अवसंरचना स्विधाओं के उपयोग हेत् उपयुक्त संस्थान में रखा जा सके।
- 1.3.7.3 खेल प्रतिभा की पहचान, प्रशिक्षण प्रणाली विज्ञान, निगरानी तथा प्रदर्शन मापन प्रणाली, एलटीएडी, खेल सुविधाओं की आवश्यकता, खेल विज्ञान बैकअप, खेल चिकित्सा विज्ञान आदि के उद्देश्य हेतु सामान्य मापदंड़ विकसित किए जाएगे ताकि विभिन्न संस्थाओं दवारा कार्यान्वित की जा रही प्रक्रियाओं में एकरुपता बन सके।
- 1.3.7.4 फंडिंग: योग्यता पर खेल अकादिमियों को कोचों, खेल विज्ञान सहायता आदि के संदर्भ में खेल अवसंरचना और तकनीकी सहायता दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक आधार पर 60 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जाएगी। इसमें से 40 करोड़ रुपये आवर्ती व्यय और 20 करोड़ रुपये अनावर्ती व्यय हेतु हैं। आवर्ती व्यय उच्च प्रदर्शन वाले निदेशक, कोचों, सहायता स्टाफ, उपभोज्य वस्तुएं, निगरानी और प्रदर्शन मापन प्रणाली, प्रतियोगिता प्रदर्शन, आदि पर व्यय किया जाएगा। 20 करोड़ रुपये के अनावर्ती व्यय ऐसी अकादिमियों में जहां अवसंरचना अंतराल की कमी है, को फंड देकर पूरा किया जाएगा।
- 1.3.7.5 कार्यान्वयन एजेंसी: परियोजना को प्रमुख खिलाड़ियों सिहत साई/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों, निजी संस्थाओं के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- 1.3.8 शारीरिक फिटनेस
- 1.3.8.1 खेलो इंडिया के अंतर्गत भारत में सभी स्कूलों (सरकारी/निजी/सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त आदि) में शारीरिक फिटनेस के एक घटक को लागू करने के लिए एक प्रयास किया जाएगा राष्ट्रीय शारीरिक स्वास्थ्य मानकों को क्षेत्रीय रूप से विकसित किया जाएगा और प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक फिटनेस का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक स्कूल को टूल किट प्रदान किया जाएगा। यह उपकरण किट शारीरिक शिक्षा शिक्षक या किट में शामिल दिशा निर्देशों की मदद से किसी भी विषय के शिक्षक द्वारा लागू करना आसान होगा।
- 1.3.8.2 खेल और शारीरिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक सलाहकार भूमिका करने हेतु एक तंत्र विकसित किया जाएगा। खेलों को स्कूल शिक्षा के साथ एकीकृत कर इसे एक अनिवार्य विषय बना दिया जाएगा, जिसके लिए अंक दिए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के तरीके भी तैयार किए जाएंगे कि खेल में न्यूनतम अंक प्राप्त करना कक्षा छठी से और आगे बच्चों के लिए अनिवार्य हैं। यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के संयोजन के साथ किया जाएगा। स्कूल जाने वाले बच्चों में शारीरिक फिटनेस को मापने और बढ़ाने के लिए नियम और दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को मानव संसाधन विकास मंत्रालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है, जो मौजूदा सभी कार्यक्रमों के लिए सभी स्कूलों तक पहुंच रहे हैं।
- 1.3.8.3 देश में स्कूल जाने वाले बच्चों में फिटनेस के स्तर का आकलन करने के बाद, बच्चों के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने के एक घटक भी शुरू किए जाएंगे। फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने हेतु स्कूलों के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली भी विकसित की जाएगी।

- 1.3.8.4 फंडिंग: घटक के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जाएगी। जबिक अविध में फंड का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न प्रतिनिधि समूहों में फिटनेस स्तर को मापने के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों के फिटनेस स्तरों के विश्वसनीय माप के लिए मानक और प्रोटोकॉल को मजबूत करने में किया जाएगा, जिनके स्वास्थ्य में बच्चों के बीच शारीरिक फिटनेस स्तर को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं। तीसरे वर्ष के बाद से, ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रोटोकॉल फ्रीज करने के लिए विभिन्न फिटनेस कार्यक्रमों की प्रभावकारिता को मापने के लिए इकड्ठा किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और वहां के अनुभवजन्य साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके फिटनेस स्तरों को मापना, फिर से मापने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। स्कूल जाने वाले बच्चों के फिटनेस के स्तर में वृद्धि करने हेतु प्रोटोकॉल का लगातार उन्नयन भी स्टेकहॉल्डर्स, ग्राहकों और विशेषज्ञों से प्राप्त अनुभव और प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाएगा।
- 1.3.8.5 कार्यान्वयन एजेंसी: यह कार्यक्रम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/स्कूलों के साथ मिलकर योजना के तहत प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से लागू किया जाएगा। कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संस्थानों, विशेषकर शारीरिक शिक्षा कालेज, पूरे देश में सूचीबद्ध किए जाएंगे।
- 1.3.9 महिलाओं के लिए खेल
- 1.3.9.1 खेलो इंडिया स्कीम के सभी घटक लिंग तटस्थ हैं और खेल गतिविधियों और खेलों के विकास में भाग लेने के लिए महिलाओं को भी अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए वार्षिक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का प्रस्ताव है। ऐसे खेल विषयों पर जोर दिया जाएगा, जहां महिलाओं की कम भागीदारी है ताकि ऐसे खेल विषयों में अधिक महिलाएं भाग लेंगी।
- 1.3.9.2 फंडिंग: इन प्रतियोगिताओं को ओलंपिक मूवमेंट की सच्ची भावना में भारतीय ओलंपिक संघ और सहभागिता वाले राष्ट्रीय खेल एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिताओं के बारे में 3000 एथलीटों और अधिकारियों की भागीदारी देखेंगे। तदन्सार, प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
- 1.3.9.3 कार्यान्वयन एजेंसी: प्रतियोगिताओं का तकनीकी संयोजन साई/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से भाग लेने वाले राष्ट्रीय खेल पिरसंघों द्वारा किया जाएगा। खेलों के सुचारू संचालन और डेलीवरी के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, एनएसएफ और अन्य स्टेकहोल्डर्स के प्रतिनिधियों का आयोजन करने वाली एक आयोजन समिति का गठन किया जाएगा। वित्तीय सहायता प्रदान करना और प्रतियोगिताओं के संचालन से संबंधित सभी पहल्ओं की समग्र निगरानी खेल विभाग की जिम्मेदारी होगी।
- 1.3.10 शांति और विकास के लिए खेल
- 1.3.10.1 भारत सरकार को जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष पैकेज के तहत राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराना है। इन बुनियादी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, कोच, उपकरण, उपभोज्य सामग्रियों, तकनीकी सहायता, प्रतियोगिता आदि के मामले में नरम समर्थन प्रदान किया जाएगा। युवाओं के सकारात्मक विनियोजन के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य में लोकप्रिय खेल विधाओं के संबंध में ग्राम स्तर प्रतियोगिताओं को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्य उग्रवाद और आतंकवाद प्रभावित और अन्य अशांत क्षेत्रों के मामले में भी इसी तरह के प्रयास किए जाएंगे।
- 1.3.10.2 फंडिंग: इस उद्देश्य हेतु 15.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जाएगी। इसमें से, राज्य सरकारों की सहायता के लिए 5.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जाएगी और अशांत क्षेत्रों में खेल क्लबों और टीमों की सहायता के लिए 10 करोड़ रुपये एक चुनौती निधि के रूप में स्थापित किए जाएंगे। गृह मंत्रालय के सिविक एक्शन प्लान के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ समन्वय करके इस संबंध में उपयुक्त मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।
- 1.3.10.3 कार्यान्वयन एजेंसी: साई के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक मापदंड को लागू किया जाएगा।
- 1.3.11 विकलांग लोगों के बीच खेलों का संवर्धनप्रचार
- 1.3.11.1 विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेषज्ञ खेल अवसंरचना के सृजन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और साई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 1.3.11.2 स्टेडियम को विकलांग/बाधा रहित करने के लिए जरूरी निधि विकलांग लोगों के सशक्तीकरण विभाग के विकलांग अधिनियमों (एसआईपीडीए) के कार्यान्वयन हेतु योजना से उपयोग किया जाएगा। इस शीर्ष के तहत उपलब्ध कराये गए धन का उपयोग खिलाड़ियों के वर्गीकरण, उपकरण, प्रशिक्षण और पैरालम्पिक खेलों के लिए टीमों की तैयारी और विधाओं और प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा।
- 1.3.11.3 फंडिंग: 15 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान एथलीटों के वर्गीकरण, भारतीय क्लासीफायर के प्रशिक्षण तथा विकलांग व्यक्तियों हेतु विशेषत: खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना/सहायता देना, कोचिंग विकास, कोचिंग डिप्लोमा हेतु विकलांग व्यक्ति एवं समर्थ व्यक्ति दोनों पैरा एथेलीट प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं हेतु वृतिका प्रदान करने के उपयोग में लाया जाएगा।

- 1.3.11.4 कार्यान्वयन एजेंसी: इस घटक को भारतीय साई/पैरालम्पिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआई)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और विकलांग व्यक्तियों के बीच खेल के विकास में शामिल अन्य एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थी संगठनों के साथ मिलकर लागू किया जाएगा।
- 1.3.12 ग्रामीण और स्वदेशी/जनजातीय खेलों को प्रोत्साहन देना
- 1.3.12.1 खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत हमारे ग्रामीण और स्वदेशी/जनजातीय खेलों का प्रदर्शन करने हेतु ग्रामीण और स्वदेशी/जनजातीय खेलों में वार्षिक प्रतियोगिताओं का वैकल्पिक रूप से आयोजन किया जाएगा। इस तरह के खेलों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला एक गतिशील और इंटरैक्टिव वेबसाइट भी लगाया जाएगा। यह न केवल सूचनाओं का प्रसार करने और इन खेलों के बारे में वर्तमान पीढ़ी की जिज्ञासा को बढ़ावा देने में सहायता करेगा, बिल्क बच्चों और युवाओं को भी इन खेलों को एक प्रमुख तरीके से अपनाने हेतु प्रोत्साहित करेगा, जो कि उनके भविष्य की मुख्यधारा के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
- 1.3.12.2 फंडिंग: प्रथम वर्ष के लिए 20 करोड़ रूपए का वार्षिक अनुदान और दूसरे और तीसरे तीसरे वर्ष के लिए प्रत्येक 15 करोड़ रुपये वार्षिक अनुदान राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं (लगभग 3500 प्रतिभागियों की अपेक्षित भागीदारी के साथ) का आयोजित करने, इंटरेक्टिव वेबसाइट को स्थापित करने, बनाए रखने और अपग्रेड करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए निर्धारित किया जाएगा। घटक के तहत प्रतियोगिताओं के सुचारु संचालन और डिलीवरी के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों, एनएसएफ और अन्य स्टेकहोल्डर्स के प्रतिनिधियों का आयोजन करने वाली एक आयोजन समिति का गठन किया जाएगा। इसमें से, गैर-सरकारी संगठनों और खेल परिसंघों/एसोसिएशन को ग्रामीण और स्वदेशी/जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने के समर्थन के लिए 5 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा सकता है।
- 1.4 समन्वय
- 1.4.1 सामुदायिक कोचिंग, स्कूल की फिटनेस, प्रतिभा खोज और विकास, खेल मैदान सिहत खेल के अवसंरचना आदि के लिए एक व्यापक पोर्टल तैयार किया जाएगा ताकि प्रभावी रिपोर्टिंग और निगरानी को सक्षम किया जा सके।
- रेलवे, रक्षा, गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, इस्पात, मानव संसाधन और विकास (उच्च शिक्षा विभाग और स्कृल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) जैसे कई मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, डीडीए, जनजातीय मामलों के विभाग, युजीसी, विकलांग व्यक्तियों का सशक्तीकरण विभाग, खेल संबर्द्धन बोईं, केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्धयम (सीपीएसई) आदि दोनों जमीनी स्तर, उत्कृष्टता स्तर पर खेल संबंधी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह की अधिकांश पहलों को एक अकेले आधार पर लागू किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सहयोगी और संपूरक को साझा दृष्टिकोण और सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्यों की कमी हेत् उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत खेल विभाग जो व्यवसाय नियमों, 1961 के आबंटन के तहत अनिवार्य है, खेल के क्षेत्र में सामृहिक भागीदारी और उत्कृष्टता के लिए काम करता है, विभिन्न खेल संबर्द्धन बोर्डें, सीपीएसई सहित, जो खेल के विकास में शामिल हैं एक अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना करेगी जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्रतिनिधित्व होगा। यह अधिकार प्राप्त समिति सचिव (खेल) की अध्यक्षता में गठित की जाएगी तथा इन्हें आवश्यक रूप से बार-बार मिलना चाहिए, लेकिन वर्ष में चार बार से कम नहीं मिलना चाहिए। यह समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, खेल अवसंरचना के अधिकतम उपयोग सहित परियोजना, कार्यक्रमों तथा खेलों के संबर्द्धन और विकास के संबंध में एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजना तथा वार्षिक संयुक्त कार्रवाई योजना तैयार करेगी ताकि अधिकतम अभिसरण प्राप्त किया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघो के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण तथा अन्य स्वायत निकाय जिन्हें इस मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है, अभिसरण के प्रयासों को पूरा करने में भी सहायक होगा। समिति को भी भारत सरकार के बजटीय सहायता से कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के लिए बनाई गई सभी खेल अवसंरचना (अभ्यास स्थल समेत) का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया जाएगा। सामुदायिक खेलों के प्रचार के अतिरिक्त, राष्ट्रीय एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए इस तरह की अवसंरचना का उपयोग करने और राष्ट्रीय अकादिमियों की स्थापना के लिए भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- 1.5 निगरानी और मूल्यांकन
- 1.5.1 आवधिक आधार पर खेलो इंडिया के आउटपुट/परिणामों की माप और समीक्षा करने हेतु एक संतुलित निगरानी-तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- 1.5.2 वर्ष 2020 में एक तीसरा पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा और 2020-21 के प्रारंभ में योजना को पुन: मूल्यांकन के लिए लाया जाएगा।
- 1.6 तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सेवाएं
- 1.6.1 वेतन के संबंध में मिशन निदेशालय खेल विकास के उपयोग के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सेवाएं (टीएससीबीएस) प्रदान करने हेत् 10 करोड़ रुपये का एक कॉर्पस फंड युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय खेल विकास निधि

(एनएसडीएफ) के साथ रखा जाएगा। इसमें नियोजित कर्मचारी की मजदूरी, कार्यालय के खर्च, स्कीम की प्रगति की निगरानी हेतु योजना का परामर्शदाता का विनियोजन, प्रचार, जागरूकता निर्माण आदि विभिन्न घटकों को तैयारी हेतु व्यय को पूरा करने के लिए पहले वर्ष के लिए 5 करोड़ रूपए अतिरिक्त राशि रखी जाएगी। योजना के विभिन्न घटकों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का विनियोजन, अंतर-संस्थागत टाई अप, व्यापक प्रसार, प्रचार और सूचना/जागरूकता फैलाने आदि हेतु काम करते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में फंड क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और विरिष्ठ अधिकारियों, प्रबंधकों और कोचों के लिए राष्ट्रीय खेल नीति, फिटनेस और खेल-कूद में व्यापक भागीदारी जैसे में क्षेत्र कार्यशालाएं निहित हैं।

1.6.2 कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत सार्वजिनक क्षेत्र/निजी क्षेत्र का योगदान साथ-साथ व्यक्तियों आदि से टीएससीबीएस निधि के लिए किया जा सकता है तािक ये निधि योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए उपयोग की जा सके।

1.7 सामान्य

- 1.7.1 उपयुक्त विधि व्यवस्था के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। खेल को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की प्रबंधन क्षमता और विशेषज्ञता का उपयोग किया जाना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) के लिए दस्तावेजों के मानकीकरण/प्रस्तावों के लिए अनुरोध, (आरएफपी)/समझौतों/पात्रता मानदंड/विनिर्देशों आदि के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क किया जाएगा।
- 1.7.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची सातवीं में सीएसआर मूल तत्व खेलो इंडिया स्कीम को शामिल करने के लिए संशोधित किया जा सकता है जैसे कि खेल गतिविधियों का हिस्सा क्योंकि यह स्वच्छ भारत अभियान के लिए किया गया था।
- 1.7.3 शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) से अनुरोध किया जाएगा कि वे विशेषकर उनके टाउन प्लानिंग नियमावली में खुले स्थानों को खेलों के लिए शामिल करें। इसके अतिरिक्त, खुले स्थान, खेल हेतु सुविधाएं स्मार्ट सिटी स्कीम में एमओयूडी द्वारा आग्रह की जानी चाहिए, जिसे भारत सरकार द्वारा फंडिंग किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एक खेल विकास सूचकांक द्वारा खेल के विकास पर राज्यों को ग्रेड देने हेतु विकसित किया जाएगा। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा सीएसआर भागीदारी के द्वारा विभिन्न स्विधाओं के मैपिकरण के संबंध में एक उपयोगिता इंडेक्स भी विकसित किया जा रहा है।
- 1.7.4 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय प्रमुख खेल सुविधाओं में खेल संग्रहालय स्थापित करने हेतु मार्ग का पता लगाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विभिन्न खेलों में अधिक से अधिक लीग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति विकसित करेगा।
- 1.7.5 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय योजना के परिणामों को मापने और योग्य बनाने हेतु पद्धित का विकास करेगा। नीति आयोग सिक्रय रूप से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की क्षमता प्राप्त करने और विभिन्न विशेषज्ञों की सेवाओं की उपलब्धि के लिए मानक/मॉडल दस्तावेज बनाने के लिए सिक्रय रूप से सहायता कर सकता है तािक खेल के विकास के लिए योजनाओं को कार्यान्वित करने हेत् पर्याप्त क्षमता उपलब्ध हो।
- 1.7.6 स्कीम के विभिन्न घटकों के संबंध में अनुमोदन-तंत्र, निधि जारी करना और निगरानी तंत्र के संबंध में विवरण उत्तरवर्ती पैराओं में है।
- 2. अन्मोदन तंत्र और निधि को जारी करना।
 - 2.1 पूर्व अनुमोदन गतिविधियां: एक संचालन समिति के समग्र मार्गदर्शन के तहत, इस योजना हेतु वित्तीय व्यय के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा:
 - i. खेल मैदानों का विकास: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारत सरकार या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (जैसे मनरेगा) की विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण में खेल मैदान का विकास किया होगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में भी जिला और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर का खेल शामिल होगा और इन एसोसिएशनों के साथ सभी खेल मैदान रजिस्टर करें और उन्हें भू-टैग करें। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में मॉडल खेल-मैदानों को आसान प्रतिकृति के लिए स्थापित करने पर विचार कर सकता है, जिसके लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक वर्ष मई तक प्रस्ताव भेज सकता है।
 - ii. सामुदायिक कोचिंग विकास: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण के लिए मौजूदा पीईटी/स्वयंसेवकों की पहचान करेगा और उनके प्रशिक्षण के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। ये पीईटी/स्वयंसेवक अन्य पीईटी/स्वयंसेवकों या सामुदायिक कोच के रूप में खेल पृष्ठभूमि वाले विषय शिक्षक भी प्रशिक्षित करेंगे।

- iii. राज्य स्तर खेलो इंडिया केंद्र: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र और संस्थानों ने प्रत्येक वर्ष के मई तक राज्य स्तर के खेल संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना के लिए विस्तृत पिरयोजना रिपोर्ट के रूप में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को विचार हेतु प्रस्तुत किए। मंत्रालय प्रत्येक प्रस्ताव की योग्यता पर विचार करेगा और ऐसे प्रस्तावों के समर्थन पर विचार करेगा।
- iv. वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं: खेलो इंडिया स्कीम के तहत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजित किया जाएगा:
 - (क) खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्कूल खेल: इन प्रतियोगिताओं का आयोजन एसजीएफआई और राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) के सहयोग से किया जाएगा, जो कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की मानक प्रक्रिया के अनुसार एक आयोजन समिति की स्थापना कर रही है। एसजीएफआई/एनएसएफ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तक अग्रणी होने के लिए निम्न स्तर की प्रतियोगिताओं का एक वार्षिक कैलेंडर (उनके द्वारा आयोजित किया जाएगा) का आयोजन करेगा। ये प्रतियोगिताएं विशिष्ट खेल विधाओं में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान के लिए अवसरों के रूप में कार्य करेगी।
 - (ख) खेलों इंडिया राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी खेल: ये प्रतियोगिताएं एआईयू/यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बॉडी और एनएसएफ़ के सहयोग से आयोजित की जाएंगी। एआईयू/यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स निकाय राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए निचले स्तर की प्रतियोगिताओं का एक वार्षिक कैलेंडर (उनके द्वारा आयोजित किया जाएगा) तैयार करेगी। ये प्रतियोगिताएं विशिष्ट खेल विधाओं में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान के लिए मार्ग के रूप में कार्य करेगी, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी।
- v. प्रतिभा खोज एवं विकास: प्रतिभा खोज प्रतिस्पर्धा संरचनाओं, राष्ट्रीय चैम्पियनिशप और साथ ही साथ खेल प्रतिभा खोज पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय द्वारा विकसित की जाएगी। सहायता हेतु एथलीटों की पहचान के लिए त्रैमासिक लक्ष्य अनुमानों के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साई द्वारा एक लिक्षित प्रतिभा पहचान योजना तैयार की जाएगी। साई/राज्य खेल प्राधिकरण भी प्रतिभाओं की संख्या के लिए अनुमान लगाएंगे, जो सहायता हेतु उनकी योजनाओं के अंतर्गत अवशोषित हो सकते हैं। खेल सहायता हेतु योजना के तहत पहचाने गए एथलीटों को अवशोषित करने के लिए विख्यात एथलीटों/को सरकारी सहायता प्राप्त (निजी निकायों द्वारा चलाई जाने वाली खेल अकादमी में आत्मसात कर लिया जाए।
- vi. खेल अवसंरचना का उपयोग और निर्माण/उन्नयन: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और साथ ही संस्थानों ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए स्वीकार्य खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मंत्रालय प्रस्तावों की जांच करेगा और आगे की स्वीकृति के लिए प्रत्येक प्रस्ताव पर गुण-दोष आधार पर विचार करेगा।
- vii. राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य खेल अकादिमियों के लिए सहायता: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/निजी निकायों/प्रतिष्ठित एथलीटों और साई के अकादिमयों को सहायता देगा।
- viii. स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक फिटनेस: बच्चों की शारीरिक फिटनेस को मापने के लिए, और वहां से निष्कर्ष निकालने के लिए आंकड़ों को संभालने/विश्लेषण करने के लिए मंत्रालय एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा। इस उद्देश्य के लिए भागीदार संस्थानों की पहचान की जाएगी।
- ix. मिहलाओं के लिए खेल: ये प्रतियोगिताएं संबंधित एनएसएफ के सहयोग से आयोजित की जाएंगी। मंत्रालय इन प्रतियोगिताओं के लिए कार्यक्रम तैयार करेगा, जो कि तैयार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से आयोजित होगा, जो मंत्रालय की तरफ से प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा।
- x. शांति और विकास के लिए खेल: भारत सरकार द्वारा बनाए गए खेल अवसंरचना पर साथ ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में अशांत क्षेत्रों में मानव शक्ति समर्थन, उपकरण, और अन्य नरम घटकों को प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करेंगे। संचालन और उनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे। फंड मोड भी अपनाया जाएगा।
- xi. विकलांग व्यक्तियों के बीच खेल का संवर्धन: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/साई/पिरसंघ और अन्य संगठन (निर्णय लेना है) मौजूदा खेलों की अवसंरचना के संशोधनों के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे, तािक वे विकलांग मैत्री बन सके। मंत्रालय संबंधित संगठनों के परामर्श से, विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेषज्ञ खेल के अवसंरचना निर्माण हेत् पिरयोजनाओं

का सृजन करेगा। स्टेडिया को विकलांग-मैत्री/बाधा रिहत करने के लिए आवश्यक निधि विकलांग लोगों के सशक्तिकरण विभाग के विकलांग अधिनियमों (एसआईपीडीए) के कार्यान्वयन के लिए योजना से उपयोग किया जाएगा। इस शीर्ष के तहत उपलब्ध कराये गए धन का उपयोग खिलाड़ियों के वर्गीकरण, उपकरण, प्रशिक्षण और पैरालिम्पक खेलो हेत् टीमों की तैयारी और विधाओं एवं प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा।

xii. स्वदेशी खेलों का संवर्धन: साई भारतीय खेलों के लिए विशेष केंद्र स्थापित करने और मंत्रालय को इसे प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा।

2.2 अनुमोदन प्रक्रिया:

- 2.2.1 इस प्रकार प्राप्त प्रस्तावों का मिशन निदेशालय खेल विकास में जांच/मूल्यांकन किया जाएगा। परियोजनाओं का मूल्यांकन एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा किया जाएगा, जो कार्यान्वयन की स्वीकृति और निगरानी के लिए सचिव (खेल) की अध्यक्षता वाली एक विभागीय परियोजना अनुमोदन समिति (डीपीएसी) के साथ पहले अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।
- 2.2.2 योजना के विभिन्न घटकों के तहत विभिन्न गितविधियों के लिए फंड को जारी करने को मंजूरी देते समय, महत्वपूर्ण घटकों में अंतर का अभाव होगा। तदनुसार, सभी प्रस्तावों के लिए अंतर विश्लेषण होना आवश्यक है (यह मांग और आपूर्ति की कमी या आपूर्ति (या इसकी कमी) को दर्शाता है ताकि उपलब्ध निधियों का अधिकतम उपयोग किया जा सके)। प्रस्तावों में समय-सीमाएं भी होनी चाहिए, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए ताकि समय समाप्ति और लागत में बढ़ोतरी को रोका जा सके। केवल ऐसे प्रस्ताव जो सभी मामलों में पूर्ण और तकनीकी रूप से व्यावहारिक हैं, उन पर मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा।
- 2.2.3 विभागीय परियोजना मूल्यांकन समिति (डीपीएसी) को निधि के सभी घटकों में पुन:- उपयुक्त आवंटन के लिए लचीलापन, किसी भी घटक या मद में स्पष्ट रूप से इस योजना में निर्दिष्ट नहीं होगा (खेल के विकास के हित में) ।
- 2.3 निगरानी तंत्र:
- 2.3.1 आंतरिक निगरानी:
- 2.3.1.1 योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी सामान्य चैनलों के माध्यम से जैसे कि दस्तावेजी के साक्ष्य द्वारा समर्थित आविधिक प्रगति रिपोर्टों की मांग द्वारा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय/साई के प्रतिनिधियों द्वारा याद्दिछक यात्रा, उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने द्वारा की जाएगी।
- 2.3.2 बाहरी निगरानी:
- 2.3.2.1 बाहरी मॉनिटरों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी राज्य स्तर पर निगरानी रखने वाले (एसएलएम) और राज्य सरकार के लिए उप सचिव पद के न्यूनतम रैंक के नोडल अधिकारी द्वारा होंगी जैसे कि राज्य स्तर पर नामित किया जाना है। उद्देश्य के लिए एक मॉडल निरीक्षण प्रारूप तैयार किया जाएगा और नोडल अधिकारी कार्यान्वयन की प्रगति पर मंत्रालय को (राज्य सरकार के माध्यम से) तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- 2.4 राज्य स्तरीय मॉनिटर्स (एसएलएम) का पैनल:
- 2.4.1 एसएलएम का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा जिसमें एक विज्ञापन, लघु सूची और साक्षात्कार जारी करना शामिल होगा। परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने वाले पूर्व अनुभवी एसएलएम के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। आवेदकों के ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले अनुभव, तकनीकी योग्यता, क्षमता और अन्य कारकों के उद्देश्य के आकलन के आधार पर चयन एक समिति द्वारा किया जाएगा।
- 2.4.2 किसी एसएलएम को सम्मिलित करने से पहले पूर्ववर्ती/सतर्कता निकासी आदि की सत्यापन के रूप में पृष्ठभूमि की जांच की जा सकती है। एक बार सूचीबद्ध होने पर, एसएलएम तीन साल की अविध के लिए वार्षिक समीक्षा के अध्यधीन पैनल पर बने रह सकता है। किसी भी समय गैर-संतोषजनक प्रदर्शन आदि के कारण एक एसएलएम को हटाया जा सकता है।
- 1.4.3 एसएलएम के कार्य
 - पूर्ण रूप से किए गए कार्य/स्थलों की सूची के आधार पर एक निरीक्षण योजना तैयार करें।
 - ii. नियुक्त तिथि पर निरीक्षण के लिए स्थल पर जाएं

- iii. निरिक्षण रिपोर्ट काम के अनुसार तैयार करें, फ्रेमवर्क/अध्याय-योजना/मुख्य सारणी और प्रारूप ये नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस रिपोर्ट में निरीक्षण के परिणाम के रूप में पहचाने जाने वाली सभी कमी को ठीक करने के लिए आवश्यक तत्काल काउंटर उपाय शामिल होना चाहिए।
- iv. हर तीन महीने की अविध के अंत में, जिले हेतु एक समेकित रिपोर्ट एसएलएम द्वारा तैयार की जाएगी और नोडल ऑफिसर के माध्यम से राज्य सरकार को पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट में नियोजन, डिजाइनिंग, कार्यस्थल का चयन और कार्य निष्पादन और उसके पर्यवेक्षण में विचलन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों को शामिल करना चाहिए। यह दीर्घकालिक उपायों की प्रकृति में होगा और इसमें प्रशिक्षण के लिए पहचाने जाने वाले क्षेत्र शामिल होंगे। इस रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों के लिए तैनाती की रणनीति भी शामिल होगी। एसएलएम द्वारा एक्शन-पॉईंट लाने के लिए रिपोर्ट का सारांश भी बनाया जाएगा।
- गोडल अधिकारी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से स्धारात्मक उपाय करेगा।
- vi. नोडल अधिकारी सुधारात्मक कार्रवाई की निगरानी करेगा और कार्यवाही पूर्ण होने तक उस समय तक की गई कार्रवाई की स्थिति को तिमाही में प्रदान करेगा।
- vii. एसएलएम के रिपोर्ट और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा राष्ट्रीय स्तर कार्यकारी समिति (एनएलईसी) द्वारा की जाएगी और सामान्य परिषद (जीसी) की चर्चा के लिए भी कार्यसूची में यह मद का एक हिस्सा होगा।
- 2.4.4 फंडिग: एसएलएम के पारिश्रमिक और आकस्मिकताओं पर व्यय टीएससीबीएस फंड से बाहर किया जाएगा।
- 2.5 सामान्य परिषद् (जीसी):
 - युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री की अध्यक्षता में मिशन के लिए सामान्य परिषद सबसे ऊंची नीति बनाने वाली संस्था होगी
 और सभी नीतिगत मामलों को तय करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होंगी।
 - ii. सामान्य परिषद् योजना के प्रभावी और क्शल कार्यान्वयन के लिए मिशन को सलाह देगा।
 - iii. मिशन के दिशा-निर्देश और दिशा-निर्देश सहित समग्र मार्गदर्शन देने के अलावा, सामान्य परिषद मिशन के निष्पादन की समीक्षा करेगा और राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारी समिति (एनएलईसी) की सिफारिशों के आधार पर स्धार का स्झाव देगा।
 - iv. सामान्य परिषद देश में इस योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन और निगरानी करेगा और (एनएलईसी) की सिफारिशों के आधार पर पाठ्यक्रम-स्धार उपायों पर फैसला करेगा।
 - v. सामान्य परिषद समय-समय पर निगरानी और निवारण-तंत्र की समीक्षा करेगा और एनएलईसी की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक सुधारों पर सलाह देगा।
 - vi. सामान्य परिषद जीसी छह महीने में कम से कम एक बार होगी।
- 2.6. राष्ट्रीय स्तर कार्यकारी समिति (एनएलईसी):
 - i. सचिव (खेल) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर कार्यकारी समिति (एनएलईसी) एक केंद्रीय मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली स्थापित करेगी।
 - ii. यह योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देगी।
 - iii. यह इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और पाठ्यक्रम-सुधार उपायों की सिफारिश करेगा।
 - iv. यह समय-समय पर निगरानी और निवारण-तंत्र की समीक्षा करेगा और अपेक्षित स्धार की सिफारिश करेगा।
 - v. यह योजना के बारे में जानकारी के व्यापक संभव प्रसार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देगा।
 - vi. एनएलईसी तीन महीनों में एक बार होगी।
 - vii. पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान अन्मोदित/स्वीकृत सभी प्रस्ताव एनएलईसी के समक्ष सूचना और परामर्श के लिए रखे जाएंगे।

3. वित्तीय पोषण:

3.1 खेलो इंडिया के तहत आवर्ती व्यय और अनावर्ती व्यय का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष		अनुमानित व्यय	
		आवर्ती	अनावर्ती	कुल
1.	2017-18	347	180	527
2.	2018-19	402	175	577
3.	2019-20	477	175	652
कुल		1226	530	1756

3.2 एक संकेतकारी ब्रेकअप आकड़े, घटक वार दोनों आवर्ती और अनावर्ती वर्ष बार निम्न हैं:-

एक संकेतकारी ब्रैकअप आंकड़े, वर्ष-वार, अवयव वार, घटक वार, दोनों आवर्ती और अनावर्ती अनुमानित व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	घटक	20	17-18	2018-19		2019-20		
		आर	एनआर	आर	एनआर	आर	एनआर	कुल
1	खेल मैदान विकार (एनपीएफएआई)	25	0	25	0	25	0	75.00
2	सामुदायिक कोचिंग विकास	25	5	25	0	25	0	80.00
3	राज्य स्तर खेलो इंडिया केन्द्र	35	0	50	0	75	0	160.00
4	वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं	70	0	70	0	70	0	210.00
5	प्रतिभा खोज और विकास	60	0	110	0	160	0	330.00
6	खेल अवसंरचना की उपयोगिता और सृजन							
	i. उत्तकृष्टता कार्यक्रम के यूनिवर्सिटी केन्द्र	0	50	0	50	0	50	150.00
	ii. अपेक्षित खेल अवसंरचना की उपयोगिता और सृजन	0	95	0	95	0	95	285.00
7	राष्ट्रीय/प्रादेशिक/राज्य खेल अकादमियों को सहायता	40	20	40	20	40	20	180.00
8	स्कूल जा रहे बच्चों की शारीरिक फिटनेस	25	0	25	0	25	0	75.00
9	महिलाओं के लिए खेल	10	0	10	0	10	0	30.00
10	शांति और विकास के लिए खेल	15	0	15	0	15	0	45.00
11	विकलांगों बच्चों के बीच खेलों का संवर्धन	5	10	5	10	5	10	45.00
12	ग्रामीण तथा देशज/जनजातीय खेलों का बढ़ावा देना	20	0	15	0	15	0	50.00
13	मॉनिटिरंग	2	0	2	0	2	0	6.00
14	तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण	15	0	10	0	10	0	35.00
	कुल	347	180	402	175	477	175	1756
	कुल जोड़	5	527	5	77	6	52	1756.00

(नोट: आर-आवर्ती, एनआर-अनावर्ती)

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 3rd October 2017

No. 6(35)-B(R)/2017—By virtue of the power vested in his under Article 148(1) of the Constitution of India, the President has been pleased to appoint Shri Rajiv Mehrishi to be the Comptroller and Auditor General of India with effect from 25th September, 2017 (FN).

PRASHANT GOYAL Joint Secretary

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS (DEPARTMENT OF SPORTS)

New Delhi-110003, the 9th October 2017

SUBJECT : IMPLEMENTATION OF REVAMPED "KHELO INDIA – NATIONAL PROGRAMME FOR DEVELOPMENT OF SPORTS - REG."

No. 29-1/MYAS/MDSD/2017—With a view to achieving the twin objectives of mass participation and promotion of excellence in sports, the Cabinet at its meeting held on 20/09/2017 approved the revamp of "Khelo India – National Programme for Development of Sports."

- 2. The revamped Khelo India programme aims at strengthening the entire sports ecosystem to promote the above mentioned twin national objectives of sports development, which includes playfield development; community coaching development; promotion of community sports; establishment of a strong sports competition structure at both school and university level as also for rural / indigenous sports, sports for persons with disability and women sports; filling up of critical gaps in sports infrastructure, including creation of hubs of sports excellence in select universities; talent identification and development; support to sports academies; implementation of a national physical fitness drive for school children; and sports for peace and development.
- 3. The scheme provides for a Project Appraisal Committee (PAC), which shall appraise all proposals received under the scheme and place them before a Departmental Project Approval Committee (DAPC) for approval. The approved projects will be subject to strict monitoring, including third party monitoring, for which State level monitors shall be engaged.
- 4. The entire programme shall be steered by a General Council (GC) chaired by the Minister in-charge, which will function as the highest policy making body for the purpose of implementation of the scheme. The General Council will be supported by a National Level Executive Committee (NLEC) headed by Union Secretary of Sports.
- 5. The scheme shall have a Corpus Fund for the purpose of technical support and capacity building, which will be utilized for engagement of professionals and national / international consultants, carrying out national campaigns, publicity and awareness activities, etc.
- 6. The scheme has adequate flexibility, including need-based re-appropriation of allocations across components. The budget allocation for the scheme is Rs. 1,756 crore for the period 2017-18 to 2019-20.
- 7. The scheme provides for complete transparency and also provides for convergence with Corporate Social Responsibility (CSR) activities and Public Private Partnership (PPP) activities.
- 8. The selection of projects under the scheme would be done based on robust selection criteria, including challenge method.
- 9. The entire scheme as approved by the Cabinet, is hereby notified on this date as enclosed, for implementation with immediate effect.

KHELO INDIA – NATIONAL PROGRAMME FOR DEVELOPMENT OF SPORTS

1.1 Vision

To infuse sports culture and achieve sporting excellence in the country.

1.2 Mission

To encourage sports all over the country thus allowing the population to harness the power of sports through its cross-cutting influence, namely, holistic development of children & youth, community development, social integration, gender equality, healthy lifestyle, national pride and economic opportunities related to sports development.

- 1.3 Components of the Scheme: The Khelo India Scheme would include the following components/objectives:
 - i. Play Field Development
 - ii. Community Coaching Development
 - iii. State Level Khelo India Centres
 - iv. Annual Sports Competitions
 - v. Talent Search and Development
 - vi. Utilisation and Creation/ Upgradation of Sports Infrastructure
 - vii. Support to National/Regional/State Sports Academies
 - viii. Physical Fitness of School going Children
 - ix. Sports for Women
 - x. Promotion of Sports among persons with disabilities
 - xi. Sports for Peace and Development
 - xii. Promotion of rural and indigenous/tribal games

1.3.1 Play Field Development:-

- 1.3.1.1 A National inventory of playfields and sports infrastructure will be prepared on a Geographic Information System (GIS) platform for their optimum utilisation. In order to put in place a strong institutionalized mechanism for preserving, protecting, developing and promoting playfields, State and District Playfield Associations will be created in all States/UTs on the lines of National Playfield Association of India (NPFAI). District and State level Associations will register existing play areas, map them on the GIS platform and affiliate with the National Playing Fields Association of India (NPFAI) through District and State Associations, thereby creating a National database.
- 1.3.1.2 NPFAI has been registered as a Society under Societies Registration Act, 1860 in February, 2009. Rs. 50 lakh is being provided to States to establish Playing Fields Association at State level as well as at District level. The Playing Fields at the District level will be registered with District level Playing Fields Association which in turn will be affiliated to State level Playing Fields Association which will be affiliated to NPFAI.
- 1.3.1.3 Development of playgrounds in all gram panchayats can be taken up in convergence with the scheme of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) and any other scheme(s) of the State Government/Central Government. Modern playgrounds having change rooms, drinking water facilities, bio-toilets, etc. will also be attempted to be developed through such convergence. Suitable Advisory will be issued to States / UTs in this regard.
- 1.3.1.4 Funding: The platform of NPFAI will be leveraged for preserving and promoting open play spaces for community sports requirements. A one-time seed money of upto Rs.50 lakh will be given to States/UTs, depending upon size and population, for setting up playfield association, in case a State Playing Field Association has not already been set up by the concerned State/UT. Funds will also be provided for meeting recurring expenditure of such Associations at the rate of Rs.12 lakh per annum as well as for development of model playing fields in States/UTs. An amount of Rs.25 crore will be set aside for the purpose.
- 1.3.1.5 Implementing Agency: Financial assistance will be provided by the Department of Sports. Standards of playfields/informal play areas to be developed will be finalised by adopting international norms and best practices. Setting up of the District and State level Playing Field Associations and development of playfields as per specified standards will be done by the respective State/UT Governments.

1.3.2 Community Coaching Development:

- 1.3.2.1 A cascading model of Community Coach Development will be adopted for development of community coaches across the country. This will involve skill development and certification system. It is estimated that over half a million Physical Education Teachers (PETs) are engaged in 1.52 million schools in the country. A short term community coaching development programme will be evolved and identified PETs will be trained as master trainees. Online courses for community coach development will also be developed at primary and advanced levels. There will be a system of coach accreditation based upon the level of proficiency. With respect to technical officials such as umpires and referees, they would be supported with capacity development programmes under the existing scheme of Human Resources Development implemented by the Department.
- 1.3.2.2 A system will be evolved for induction and utilization of community coaches. Training at different levels alongwith accreditation in accordance with international best practices will be provided for. About 2000 PETs/Volunteers will be developed as Master Trainers per annum from States/UTs every year who in turn will train other PETs/Volunteers as community coaches and develop teams at community level.

1.3.2.3 Funding:

- a. Content Development: In the first year, an amount of Rs.5.00 crore will be kept aside for development of curriculum, teaching methodologies, tool-kits, online resources, etc., through widespread brainstorming with experts, both domestic and international.
- b. Training: Training of PETs/Volunteers as Master Trainers entails expenditure on travel, accommodation, content development, training material, faculty charges, etc., and it is estimated that an expenditure of Rs.1,00,000/- per Master Trainer will be incurred on the said training. About 2000 PETs/Volunteers will be trained as Master Trainers annually entailing an annual financial implication of Rs.25 crore.
- 1.3.2.4 Implementing Agency: Laxmibai National Institute of Physical Education (LNIPE) and institutes of Sports Authority of India (SAI), will develop content and other protocols as well as conduct trainings for Master Trainers.

1.3.3 State Level Khelo India Centres:

- 1.3.3.1 A large number of sports infrastructure set up throughout the country are not being utilised optimally due to lack of coaches/part-time coaches, support staff such as physiotherapists and masseurs, equipment, proper field of play, consumables, day boarding facilities, etc., as well as lack of adequate financial support for meeting recurring expenditure. Accordingly, it is proposed to support better utilization of sports infrastructure belonging to States/UTs through suitable Memorandum of Understanding (MoU) and provide support for engagement of coaches, providing day-boarding facilities as per the Sports Authority of India (SAI) Day Boarding Scheme, stipend to trainees, etc. The implementation of this component is to be done through the SAI. These will be modelled on the lines of existing Extension Centre Scheme of SAI. Online sports coaching and education through 'Khel Pathshala' shall also be undertaken.
- 1.3.3.2 Ministry of Youth Affairs & Sports (MYAS) will simultaneously make efforts to supplement this project from Corporate Social Responsibility (CSR) funding through Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and Corporate Houses to ensure sustainable funding of recurring costs of these centres.
- 1.3.3.3 Funding: Each of these State Level Khelo India Centres will be provided an annual grant for the purpose of engagement of coaches/part-time coaches, and expenditure on equipment, proper field of play, consumables, day boarding facilities, physiotherapists, etc., as well as requirement for recurring expenditure including beneficiary support, repair & maintenance. A mega Centre would entail a cost of upto Rs.3.00 crore while a small centre would have an implication of upto Rs.0.75 crore. Rs. 1.50 crore is adopted as the average cost estimate for a normal centre. All Khelo India Centres will prominently display the Khelo India branding. Apart from this, funding will also be provided to set up Extension Centres, mainly in schools and colleges, which would be modelled on SAI Extension Centre Scheme.
- 1.3.3.4 Implementing Agency: While providing expertise for engagement of coaches, deciding on standards of equipment and consumable, quantum of beneficiary support and its criteria, etc., will be provided by the SAI, management of the Centres including maintenance and repairs will be the joint responsibility of the State Government and representatives of the Government of India/SAI.

1.3.4 Annual Sports Competitions:

1.3.4.1 Khelo India will be the basic platform to showcase sporting skills and accordingly become a platform for talent spotting and providing development pathways for gifted and talented children to achieve excellence. The Central Government will organize the following National level competitions, i.e., Khelo India National School Games and Khelo India National University Games, in respect of High priority / priority sports disciplines, like, Archery, Athletics, Badminton,

Basketball, Boxing, Chess, Cycling, Football, Gymnastics, Handball, Hockey, Judo, Kabaddi, Karate, Kho-Kho, Shooting, Swimming, Table Tennis, Taekwondo, Tennis, Volleyball, Weightlifting, Wrestling and Wushu, at various places across the country.

- 1.3.4.2 These National level competitions will be organized in true spirit of the Olympic Movement by associating concerned National Sports Federations (NSFs) and School Game Federation of India (SGFI) and University Sports promotion bodies including Association of Indian Universities (AIU). Talent pool identified at the National School Games and National University Games will form a key input for the Talent Search and Development Programme for which suitable criteria will be built into the Programme guidelines. System of School and University leagues will be launched in key team games across the country to create greater participation and competition.
- 1.3.4.3 State/UT Governments will be encouraged to conduct Lower level competitions in identified sports disciplines by the Central Government on its own by associating District and State level Associations/Federations of various sports disciplines.
- 1.3.4.4 A mobile Application will be developed on how to play different sports along with all the relevant rules and regulations of those sports, including measurement of the field of play, details of equipment required for a sport so that it will be accessible not only to the players and coaches but also to the public at large so as to make everyone aware of the fundamentals of the sports and games and ensure access and equity.
- 1.3.4.5 Suitable policies would be evolved to encourage sports in a big way among Defence and Paramilitary forces, who are well endowed with sports infrastructure.
- 1.3.4.6 The services of Physiotherapists and Nutritionists will be utilized by deploying them at Khelo India Centres, hubs for excellence and competitions at various levels.
- 1.3.4.7 The sports equipment industry will be encouraged to produce affordable sports equipment. Further, the Sports Department will take up with the Bureau of Indian Standards (BIS) the issue of standardizing sports equipment products and also to have appropriate specifications based on nature of use (participative/competitive) and level of competitions.
- 1.3.4.8 Funding: These Competitions will be held in the true spirit of the Olympic Movement in association with the Indian Olympic Association and the participating National Sports Federations. Each set of competitions will see participation of about 10,000 athletes and officials. Accordingly, an amount of Rs.35 crore will be earmarked annually for conduct of each set of competitions. Thus, an amount of Rs. 70 crore per annum will be required. Additional funding requirements, if any, shall be met through mobilizing CSR support.
- 1.3.4.9 Implementing Agency: Technical Conduct of the Competitions will be done by the participating National Sports Federations in collaboration with the SGFI or the AIU/University Sports Board or their sports body, as the case may be. An Organising Committee comprising representatives from the Government of India, State Governments, NSFs, SGFI/AIU or their Sports body, and other stakeholders will be constituted for smooth conduct and delivery of the Games. Providing financial assistance and overall monitoring of all aspects relating to the conduct of competitions will be the responsibility of the Department of Sports.
- 1.3.5 Talent Identification and Development
- 1.3.5.1 The National competitions involving schools, colleges, Universities and NSFs under Khelo India Scheme, National Championships, and National Sports Talent Search Portal of SAI, will provide a platform for identification of talented sports persons in priority Sports disciplines in which the country has potential/advantage. In addition to selection of prize winners, the duly constituted talent identification committee may also adopt globally accepted scientific methods to spot and identify talent in various sports disciplines. The identification of talented sportspersons will be done in a transparent manner through competitive performance and assessment made through scientifically designed battery of tests. Further, a National Talent Search Portal has been launched recently which will provide seamless access to upload individual achievements. In addition, the Gujarat model of mobile van will be adopted for carrying out scientific evaluation at remote places for better identification of the talented sportspersons. During the talent identification drive sporting talent hubs, discipline wise, including indigenous games, shall be identified and duly mapped. Efforts will be made through sports academies to conduct special programmes to encourage such specific sport / game in that area.
- 1.3.5.2 Out of the talented players identified in priority sports disciplines at various levels through different avenues, best talents in those sports discipline will be identified by the High Powered Committee and provided annual financial assistance, at the rate of Rs.5.00 lakh per annum, for a period of 8 years under a Long Term Athlete Development Programme. Continuation of support to an individual athlete will be subject to his/her progress/performance in the identified sports discipline concerned, ensuring the best performers, having potential to excel at the highest level, are given continuous support and non-performers/ non achievers can be taken out of the system. This will ensure a sizable bench strength that the country is lacking at present. Additional funding requirement, if any, shall be met through mobilizing CSR support.

- 1.3.5.3 Funding: An amount of Rs.10 crore annually will be earmarked for maintenance of the Online Portal, identification of sporting talents through different avenues, including through advanced scientific profiling, short listing of talents and recommending the best talents for providing support. Identification of sporting talent will involve conduct of pan-India trials involving about 50,000 to 1,00,000 children by Talent Scouts (to be engaged for the purpose), in association with States/UTs.An amount of Rs.50 crore will be earmarked annually for providing annual financial assistance, at the rate of Rs.5.00 lakh per annum for 1000 athletes, for a period of 8 years, to identified athletes, under a Long Term Athlete Development Programme. Thus, Rs. 60 crore (Rs. 50 crore for talent nurturing towards Training / Coaching, Consumables & Equipment, Sports Nutrition support, Sports Science Support etc., and Rs. 10 crore for maintenance of online portal, Identification of Talent through trials, shortlisting of identified talents through Scientific profiling etc.). In the second year, when additional 1000 athletes are added, Rs. 110 crore (Rs. 50 crore each for first year and second year athletes for their talent nurturing and Rs. 10 crore for talent search and development) and so on. The expenditure will be incurred on various components mentioned above and no fee/scholarship will be paid to the athlete.
- 1.3.5.4 Implementing Agency: Department of Sports will provide financial assistance as well as overall guidance, supervision and monitoring. Implementation will be through SAI and involve State Governments as well as reputed athletes and private bodies. International experts shall also be engaged for project implementation.
- 1.3.6 Utilisation and Creation/Upgradation of Sports Infrastructure
- 1.3.6.1 Majority of the schools, colleges and even Universities lack proper play grounds as well as sporting infrastructure in the country. Efforts will be made to utilize the existing available sports infrastructure all over the country especially those under the control of Central Government/State Governments. A suitable mechanism will be evolved to identify gaps in availability of sporting infrastructure across the country and fill these gaps with support under Khelo India. At the same time, since centres of excellence will also be created across the country in various States, model sporting facilities will be created in each State and the States will be asked to replicate these facilities elsewhere in the State where there are gaps in infrastructure. Further, suitable guidelines will be issued for letting out the existing sports infrastructure to private bodies on the basis of transparent bidding procedures so as to ensure optimum utilization of the existing infrastructure and simultaneously generating adequate revenues.
- 1.3.6.2 This Component will have the following two sub components:
 - i. University Centre of Excellence Programme: Under this component, grants-in-aid will be provided for infrastructure, equipment, gym and equipment, recovery equipment, coach deployment, training for coaches, team development, training camps for teams, opening of extension centres and University Sports Centres, league development, sports science back-up, etc. to identified Universities. Ministry of Human Resource Development shall ensure that Ministry of Youth Affairs & Sports is included in the University Grants Commission (UGC) Steering Committee for Sports in Universities.
 - ii. Creation of Appropriate Sports Infrastructure: Under this component, grants-in-aid will be provided to States/ UTs, SAI etc. to develop critical sports infrastructure and other infrastructure where there are gaps. The role of private sector will be explored in creation of sports infrastructure and efforts will be made to develop international level infotainment facilities as one of the eligible infrastructure. The sports infrastructure will be offered to States with critical gaps, having capacity for utilization and on a challenge mode. Grants-in-aid will also be provided for sports science and sports equipment.
- 1.3.6.3 Scheme of Khelo India will also be converged with Members of Parliament Local Area Development (MPLAD) Scheme. The States may also like to consider making a similar provision in their respective Member of Legislative Assembly Local Area Development (MLALAD) Schemes so as to enable a Member of Legislative Assembly to contribute from out of his MLALAD funds for development of sports infrastructure in the respective State.
- 1.3.6.4 The proposals for creation of sports infrastructure received from eligible entities in the prescribed format will be evaluated as per the guidelines under Khelo India.
- 1.3.6.5 The Sports infrastructure created under the scheme will be utilized by Ministry of Youth Affairs & Sports through Sports Authority of India (SAI). A Memorandum of Understanding (MoU) will be signed between SAI and the grantee so that the infrastructure could be utilized by SAI as and when required. Besides, it will also be ensured that the grantee also utilizes the infrastructure judiciously. During free time, facilities should be available for use to schools, colleges, neighbourhood communities and sports associations.
- 1.3.6.6 Some States may have their own sports schools which will be empanelled for the purpose of admission of such talented sports persons.
- 1.3.6.7 Suitable linkage will be developed with the proposed National Sports University and other Institutions namely, National Institute of NetajiSubhas National Institute of Sports (NSNIS), Patiala and Laxmbai National Institute of Physical

Education (LNIPE), Gwalior to develop norms, for training, mentoring of selected talented sportspersons in areas of high performance training, exercise regimen, sports nutrition, sports science backup, psychological training, sports scheme etc.,. The focus will be on high priority / priority sports disciplines mentioned in Para 1.3.4.1 above.

- 1.3.6.8 Sports Schools, Sports Academies, Sports Colleges/Universities for admission of talented sportspersons will be selected through suitable criteria or a challenge model.
- 1.3.6.9 Funding: An amount of Rs.50 crore (at an approximate cost of Rs.25 crore per University, which may go upto Rs.50 crore per University depending on actual requirement) will be earmarked for supporting hubs of sporting excellence. A total of upto 4 such centres are proposed to be set up per year with supplementary support from the UGC. These centres will cater to both University athletes as well as National level athletes. An amount of Rs. 95 crore per annum will be earmarked for funding other sports infrastructure to bridge critical infrastructure gaps in the country.
- 1.3.6.10 Implementing Agency: The Department of Sports will provide funding while execution of the projects will be through MYAS/SAI.
- 1.3.7 Support to National/ Regional/State Sports Academies
- 1.3.7.1 The identified sports talents will be given the option to join SAI National Sports Academies, State Sports Academies or Sports Academies established by private sector. Grants-in-aid will be provided for establishment, operation and maintenance of sports academies in respect of identified disciplines to Sports Authority of India, State Governments or to private sector or sports person under Public Private Partnership (PPP) mode for facilitating and supplementing Long Term Athlete Development (LTAD) programme (for 8 years). The best academies might be at National, Regional or State level, both in public and private sector. Academies will be identified for need-based support, both recurring and non-recurring, by inviting proposals from suitable entities. A system would be developed for rating of academics to facilitate selection of appropriate academics for support. At least one academy for Para Athletes will be supported.
- 1.3.7.2 There will be a close coordination with Schools and Universities including National Sports University so that the identified talented sports persons can be placed in appropriate institute for the purpose of academics, training and utilization of sports infrastructure facilities.
- 1.3.7.3 Common norms will be evolved for the purpose of identification of sports talent, training methodology, monitoring and performance measurement systems, LTAD, requirements of sporting facilities, sports science backup, sports medicine etc., so that there is some uniformity of processes to be implemented by various Institutes and Academies.
- 1.3.7.4 Funding: An amount of Rs.60 crore will be earmarked for need based support for both creation of sports infrastructure and technical assistance in terms of coaches, sports science support, etc. to Sports academies on merit. Out of this, Rs. 40 crore will be recurring expenditure and Rs. 20 crore non-recurring expenditure. The recurring expenditure will be incurred for engagement of High Performance Director, Coaches, Support Staff, Consumables, monitoring and performance measurement systems, competition exposure, education, etc. The non-recurring expenditure of Rs. 20 crore will be incurred to fund critical infrastructure gaps, including equipment, in such academies.
- 1.3.7.5 Implementing agency: The project will be implemented through SAI/States/UTs/Private entities, including eminent sportspersons.
- 1.3.8 Physical Fitness
- 1.3.8.1 An effort will be made to implement a component of physical fitness across all schools (Government/Private/Aided/Un-Aided etc.) in India under Khelo India. National Physical Fitness parameters will be evolved region- wise and a tool kit will be provided to each school to evaluate physical fitness of all school going children. This tool kit would be easy to implement by physical education teacher or any subject teacher with the help of guidelines included in the kit.
- 1.3.8.2 A mechanism will be evolved to perform an advisory role for integration of Sports and physical education. Sports will be integrated with School education by making it a compulsory subject for which marks will be awarded. Methods will also be devised to ensure that securing critical minimum marks in Sports becomes mandatory for children from Class VI onwards. This will be done in conjunction with the Department of School Education & Literacy.Norms and guidelines for measuring and enhancing physical fitness among school going children will be evolved. The programme may be implemented through the Ministry of Human Resource Development and/or the Ministry of Health and Family Welfare's existing programmes having the outreach to all schools.
- 1.3.8.3 After assessing the level of fitness across the school-going children in the country, a component of enhancing fitness levels of children will also be undertaken. A grading system for schools will also be developed to encourage competition among schools to promote fitness.

- 1.3.8.4 Funding: An amount of Rs.25 crore will be earmarked for the component. While in the period funds will be utilised mainly in formulating and firming up standards and protocols for credible measurement of fitness levels of school going children by measuring fitness levels in various representative groups, running programs for enhancement of physical fitness levels among children whose fitness have been measured, re-measuring their fitness levels, analysing the data collected to measure the efficacy of various fitness programs implemented, and deriving empirical evidence therefrom to freeze protocols for such programs, from the third year onwards, the emphasis will be more on enhancing the fitness levels of school going children, while continual upgradation of the protocols will also be undertaken based on experience gained and feedback from stakeholders, clients and experts.
- 1.3.8.5 Implementing agency: The programme will be implemented through the Lakshmibai National Institute of Physical Education (LNIPE) and Master Trainers trained under the Scheme in association with States/UTs/Schools. Institutions, especially Physical Education colleges, will be empanelled throughout the country for effective implementation of the programme.
- 1.3.9 Sports for Women
- 1.3.9.1 While all the components of the Khelo India Scheme are gender neutral and afford opportunities to women too for participating in sporting activities and development of sports, it is proposed to hold annual national competitions for women. Emphasis will be laid on such sports disciplines where there is less participation of women so that more number of women will participate in such sports disciplines.
- 1.3.9.2 Funding: These Competitions will be held in the true spirit of the Olympic Movement in association with the Indian Olympic Association and the participating National Sports Federations. The competitions will see participation of about 3000 athletes and officials. Accordingly, an amount of Rs.10 crore is earmarked for conduct of the competitions.
- 1.3.9.3 Implementing Agency: Technical Conduct of the Competitions will be done by the participating National Sports Federations through the SAI/States/UTs. An Organising Committee comprising representatives from the Government of India, State Governments, NSFs, and other stakeholders will be constituted for smooth conduct and delivery of the Games. Providing financial assistance and overall monitoring of all aspects relating to the conduct of competitions will be the responsibility of the Department of Sports.
- 1.3.10 Sports for Peace & Development
- 1.3.10.1 The Government of India, under the Special Package for J&K is providing funds to the tune of Rs. 200 crore for enhancement of sports facilities in the State. To ensure optimal utilization of these infrastructure, soft support in terms of coaches, equipment, consumables, technical support, competition etc. will be provided. Efforts will be made to organise village level competitions in respect of sports disciplines popular in the State of J&K for positive engagement of youth. Similar efforts will also be made in case of other extremism and terrorism affected and other disturbed areas.
- 1.3.10.2 Funding:An amount of Rs.15.00 crore will be earmarked for the purpose. Out of this, Rs. 5.00 crore will be earmarked for support to State Governments and Rs.10 crore will be set up as a challenge fund for supporting Sporting Clubs and teams in disturbed areas. Suitable criteria will be laid down in this regard by co-ordination with Central Armed Police Forces (CAPFs) as part of Civic Action Plan of Ministry of Home Affairs.
- 1.3.10.3 Implementing agency: The module will be implemented in association with the State Governments through the SAI.
- 1.3.11 Promotion of sports among persons with disabilities.
- 1.3.11.1 Financial assistance will be provided to States/UTs and SAI for creation of specialist sports infrastructure for persons with disabilities.
- 1.3.11.2 Funds required for making stadia disabled friendly / barrier free will be accessed from Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act (SIPDA) of Department of Empowerment of Persons with Disabilities. The funds provided under this head will be used for classification of players, equipment, training and preparation of teams for Paralympic Games and disciplines and competitions.
- 1.3.11.3 Funding: An annual grant of Rs.15 crore will be utilized for classification of Athletes, training of Indian classifiers, and setting up/supporting Specialised Sports Training Centres for people with disabilities, coaching development, scholarships for coaching diploma both by differently abled persons and able-bodied persons seeking coaching for training para-athletes, and competitions.
- 1.3.11.4 Implementing agency: This component will be implemented through the SAI/Paralympic Committee of India (PCI)/States/UTs and other agencies involved in development of Sports among persons with disabilities, in association with the beneficiary organisations.

- 1.3.12 Promotion of rural and indigenous/tribal games.
- 1.3.12.1 In order to showcase our rural and indigenous/tribal games, annual competitions will be held annually under the Khelo India Scheme in rural and indigenous/tribal games alternately. A dynamic and interactive website providing information on such games will also be put up. This will not only help disseminate information and pique the curiosity of the present generation about these games but also encourage children and youth to take up these games in a major way, paving way for their future mainstreaming.
- 1.3.12.2 Funding: An annual grant of Rs. 20 crore for the first year and Rs. 15 crore each for second and third year will be earmarked for promoting Indigenous Games for holding annual National competitions (with expected participation of around 3500 participants), installing, maintaining and upgrading the interactive website and supporting critical infrastructure where required. An Organising Committee comprising representatives from the Government of India, State Governments, NSFs, and other stakeholders will be constituted for smooth conduct and delivery of the competitions under the component. Out of this, Rs.5.00 crore may be used for supporting NGOs and Sports Federations/Associations promoting rural and indigenous/tribal games.

1.4 Coordination

- 1.4.1 A comprehensive portal for community coaching, school fitness, Talent Search and development, Sports infrastructure including playfield, etc. will be developed to enable effective reporting and monitoring.
- A number of Ministries such as Railways, Defence, Home Affairs, Petroleum & Natural Gas, Steel, Human Resource Development (Department of Higher Education and Department of School Education & Literacy), UGC, Ministry of Urban Development, DDA, Tribal Affairs, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Sports Promotion Boards, Central Public Sector Enterprises (CPSEs), etc., are supporting sports related activities both at grassroots level and excellence level. Most of such initiatives are being implemented on a stand-alone basis, as a result of which the synergies and complementarities are not being harnessed for want of a shared vision and common national goals. Hence, the Department of Sports under the MYAS, which is mandated under the Allocation of Business Rules, 1961 to work for mass participation and excellence in Sports, will set up an Empowered Committee which would have representation from all relevant Ministries/Departments, including various Sports Promotion Boards, CPSEs, which are involved in sports development. The Empowered Committee will be chaired by Secretary (Sports) and meet as frequently as necessary, but not less than four times a year. The Committee, inter-alia, shall prepare a long-term Perspective Plan and Annual Joint Action Plan with respect to projects, programmes & expenditure on sports promotion and development, including optimal utilization of sports infrastructure, in order to achieve maximum convergence. This would also enable convergence with the efforts made by the Ministry of Youth Affairs & Sports, Sports Authority of India & other autonomous bodies under the control of the Ministry and the National Sports Federations, which are supported by the Ministry. The Committee shall also be mandated to ensure optimum utilization of all sports infrastructure (including practice venues) that were created for Commonwealth Games 2010 through budgetary support from Government of India. Apart from community sports promotion, focus shall also be there on using such infrastructure for training of national athletes as also setting up national academies.
- 1.5 Monitoring & Evaluation
- 1.5.1 A robust Monitoring mechanism will be set up to measure and review the outputs/outcomes of Khelo India on a periodic basis.
- 1.5.2 A third party evaluation shall be carried out in the year 2020, and the Scheme will be brought for re-appraisal in early 2020-21.
- 1.6 Technical Support and Capacity Building Services
- 1.6.1 A corpus fund of Rs.10 crore will be placed with National Sports Development Fund (NSDF) of Ministry of Youth Affairs & Sports for providing technical support and capacity building services (TSCBS) for the use of Mission Directorate Sports Development in respect of salary/wages of staff engaged, office expenses, engagement of consultants for monitoring of progress of the Scheme, publicity of the Scheme, awareness creation, etc. An additional amount of Rs. 5.00 crore will be earmarked for the first year to meet expenditure on preparatory work for various components of the scheme, engagement of international experts, inter-institutional tie-up, wide-spread publicity and dissemination of information/awareness, etc. MYAS shall fund Capacity Development Training Programmes and workshops for Senior Officers, Managers and Coaches in areas such as National Sports Policy, Mass participation in fitness and sports etc.
- 1.6.2 Contribution from public sector / private sector under Corporate Social Responsibility (CSR) as well as from individuals etc., can be made to TSCBS fund so that these funds could be utilized for implementation of various verticals under the Scheme.

1.7 General

- 1.7.1 Private sector participation will be encouraged through suitable legal arrangement. Private Sector's management capability and expertise need to be utilized to develop sports. National Institution for Transforming India(NITI) Aayog will be approached to seek help in standardization of documents/Request for Proposals (RFPs)/agreements/eligibility criteria/ specifications etc.
- 1.7.2 The CSR element in Schedule VII of the Companies Act, 2013 may be amended to include Khelo India scheme as such as part of sports activities as it was done for Swachh Bharat Abhiyan.
- 1.7.3 The Ministry of Urban Development (MOUD) will be requested to ensure inclusion of open spaces specifically for Sports in their Town Planning Manuals. In addition, open spaces, facilities for Sports should be insisted upon by the MOUD in the Smart City Scheme that is being funded by the Government of India. A Sports Development Index will be developed by the MYAS to grade States on sports development. An utilization index will be developed with respect to mapping of various facilities being developed so far by the private sector, public sector and CSR participation across various States/UTs.
- 1.7.4 MYAS will explore avenues for setting up Sports Museums in major Sports facilities. MYAS will evolve policy for encouraging more and more leagues in different sports.
- 1.7.5 MYAS will evolve methods to make the outcomes of the Scheme measurable. NITI Aayog may actively help the MYAS to procure capacity as well as devise standard/model documents for procurement of services of various experts required by them so that adequate capacity is available for implementing Schemes for development of Sports efficiently and effectively.
- 1.7.6 The details regarding approval mechanism, release of funds and monitoring mechanism in respect of the various components of the scheme are given in succeeding paragraphs.
- 2. Approval Mechanism and Release of Funds
- 2.1 Pre-approval activities: The following process will be adopted for approval of financial expenditure under the Scheme, under the overall guidance of a Steering Committee:
 - i. Play Field Development: The States/UTs will develop Playfields in convergence with various schemes of the Government of India or the States/UTs (like MGNREGS). States/UTs will also form District and State/UT level Playing Field Associations and register all Playing Fields/Open Spaces with these associations and also geo-tag them. States/UTs will submit proposals to the Ministry seeking financial assistance. The Ministry may consider setting up model playfields in the States/UTs for easy replication for which States/UTs may send proposals by May of each year.
 - ii. Community Coaching Development: States/UTs will identify existing PETs/Volunteers for training as Master Trainers and submit annual action plan for their training. These PETs/Volunteers will train other PETs/Volunteers or even Subject Teachers with sports background as community coaches.
 - iii. State Level Khelo India Centres: The States/UTs as well as institutions of the Ministry of Youth Affairs & Sports will submit proposals in the form of Detailed Project Reports for setting up of State Level Khelo India Centres by May of each year to the Ministry of Youth Affairs & Sports for consideration. The Ministry will consider each proposal on merit and consider support for such proposals.
 - iv. Annual Sports Competitions: The following competitions will held under Khelo India Scheme:
 - a. Khelo India National School Games: These competitions will be held in collaboration with the SGFI and National Sports Federations (NSFs) by setting up an Organizing Committee as per standard procedure of MYAS. The SGFI/NSFs will draw up an annual calendar of lower level competitions (to be conducted by them) leading upto the National Level Competitions. These Competitions will act as avenues for identification of budding Sporting Talents in specific Sports disciplines.
 - b. Khelo India National University Games: These competitions will be held in collaboration with the AIU/University Sports Body and NSFs under the Organizing Committee as per standard procedure of MYAS. The AIU/University Sports Body will draw up an annual calendar of lower level competitions (to be conducted by them) leading up to the National Level Competitions. These Competitions will act as avenues for identification of elite Sporting Talents in specific Sports disciplines for which a Committee will be formed at the National level.
 - v. Talent Search & Development: Talent Search will be done through the Competition structures, national championships as well as through the Sports Talent Search Portal being developed by the Ministry. A targeted talent identification plan will be prepared by the SAI to achieve this objective with quarterly target projections for identification of athletes for support. SAI/ State Sports Authorities will also make projections for the number of talent who can be absorbed under their Schemes for support. Similar action can be taken by reputed

- athletes/Government-aided/Private bodies running sports academies to absorb athletes identified under the Scheme for support.
- vi. Utilisation and Creation/Upgradation of Sports Infrastructure: The States/UTs as well as institutions of the Ministry of Youth Affairs & Sports will submit proposals for creation of admissible sports infrastructure to the Ministry of Youth Affairs & Sports for consideration. The Ministry will examine the proposals and consider each proposal on merit for further sanction.
- vii. Support to National/Regional/State Sports Academies: Based on proposals received from States/UTs and other entities, the Ministry will decide support to academies of States/UTs/Private Bodies/reputed athletes and the SAI.
- viii. Physical Fitness of School going Children: The Ministry will draw up an annual action plan for targeted coverage of children for measuring their physical fitness, and collating/analysing the data for deriving conclusions therefrom. Partner institutions will be identified for this purpose.
- ix. Sports for Women: These competitions will be held in collaboration with concerned NSFs. The Ministry will draw up schedule for these competitions which will be held in collaboration with willing States/UTs who will host the competitions on behalf of the Ministry.
- x. Sports for Peace and Development: The Ministry will consider proposals received from States/UTs for providing manpower support, equipment, and other soft components at Sports infrastructure created by the Government of India as well as States/UTs in disturbed areas in order to keep them operational and ensure their optimum utilisation. Challenge Fund mode will also be adopted.
- xi. Promotion of Sports among persons with disabilities: States/UTs/SAI/Federation and other organisations (to be decided) will submit proposals for modification of existing sports infrastructure to make them disabled friendly. The Ministry will, in consultation with the organisations concerned, will take up projects for create specialist sports infrastructure for persons with disabilities. Funds required for making stadia disabled friendly/barrier free will be accessed from Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act (SIPDA) of Department of Empowerment of Persons with Disabilities. The funds provided under this head will be used for classification of players, equipment, training and preparation of teams for Paralympic Games and disciplines and competitions.
- xii. Promotion of indigenous games: The SAI will prepare proposals for setting up of specialized centres for indigenous Games and submit the same to the Ministry.

2.2 Approval process:

- 2.2.1 The proposals so received will be examined/evaluated in the Mission Directorate- Sports Development. The projects will be appraised by a Project Appraisal Committee (PAC), who will submit their recommendations before a Departmental Project Approval Committee (DPAC) headed by Secretary (Sports) for approval and monitoring of implementation.
- 2.2.2 While sanctioning release of funds for various activities under different components of the Scheme, the overarching consideration will be existence of gap in critical components. Accordingly, all proposals will necessarily have to contain a gap analysis study (indicating the extent of demand and supply (or lack of it) so that the available funds can be utilized optimally. The proposals should also contain timelines which need to be adhered scrupulously by the implementing agency, so that time overruns and cost overruns can be avoided. Only such proposals, which are complete in all respects and technically feasible, will be considered for sanction.
- 2.2.3 The Departmental Project Appraisal Committee (DPAC) will have the flexibility to re-appropriate allocations across the components of the fund to any component or item not indicated in the scheme explicitly (in the interest of development of sports).
- 2.3 Monitoring Mechanism:
- 2.3.1 Internal Monitoring:
- 2.3.1.1 Monitoring of progress of implementation of the Scheme will be done through normal channels like calling for periodic progress reports supported by documentary evidence, random visits by representatives of the MYAS/SAI, furnishing of Utilisation Certificates.
- 2.3.2 External Monitoring:
- 2.3.2.1 Monitoring of progress of implementation of projects by external monitors will be through State Level Monitors (SLM) and a Nodal Officer of the rank of minimum grade of Deputy Secretary to the State Government, to be designated as such at the State level. A model inspection format will be prepared for the purpose and the Nodal Officer will submit quarterly report to the Ministry (through the State Government) on progress of implementation.

- 2.4 Empanelment of State Level Monitors (SLM):
- 2.4.1 SLMs will be selected through a transparent process which will include issuing an advertisement, short listing, and interview. Individuals having prior experience in monitoring progress of projects will be eligible for appointment as SLM. Based on an objective assessment of the track record of applicants, past experience, technical qualifications, competence and other factors, the selection will be made by a Committee.
- 2.4.2 A background check of the form of verification of antecedents/ vigilance clearance etc. may be carried out before empanelling any SLM. Once empanelled, the SLM may remain on the panel for a period of three years, subject to annual review. An SLM may be removed/ delisted because of non-satisfactory performance, etc. at any time.

2.4.3 Functions of the SLMs

- i. Prepare a visit plan, based on the list of works/ sites finalized.
- ii. Visit the site for inspection on the appointed date.
- iii. Prepare visit report work wise, the framework/chapter-plan/core tables and format for which would be made available by the Nodal Officer. This report should include immediate counter measures required to be taken to rectify/ correct deficiencies identified as a result of the inspection.
- iv. At the end of every three months period, a consolidated report for the district shall be prepared by the SLM and submitted to State Government through Nodal Officer. This report should include measures to be taken to prevent recurrence of deviations in planning, designing, selection of worksites and execution of works and supervision thereof. This would be in the nature of long term measures and would include areas identified for training. This report will also contain a deployment strategy for the suggested measures. A summary of the report shall also be made by the SLM bringing out the Action Points.
- v. The Nodal Officer shall take corrective measures through the Implementing Agency.
- vi. The Nodal Officer shall monitor the corrective action and furnish the action taken status quarterly till such time that action is complete.
- vii. Action taken by the State Government on the reports and suggestions of SLMs will be reviewed by the National Level Executive Committee (NLEC) and will also be a part of the agenda item for discussion of the General Council (GC).
- 2.4.4 Funding: Expenditure on remuneration and incidentals of SLMs will be borne out of the TSCBS Fund.
- 2.5 General Council (GC):
 - i. The GC chaired by the Minister, Youth Affairs & Sports will be the highest policymaking body for the Mission and will be fully empowered to decide all policy matters.
 - ii. The GC will advise the Mission for effective and efficient implementation of the Scheme.
 - iii. Apart from giving overall guidance, including policy guidelines and direction to the Mission, the GC will review the performance of the Mission and suggest improvements based on recommendations of the National Level Executive Committee (NLEC).
 - iv. The GC will also evaluate and monitor implementation of the Scheme in the country and decide on course-correction measures based on recommendations of the NLEC.
 - v. The GC will review the monitoring and redressal mechanism from time to time and advise on improvements required based on recommendations of the NLEC.
 - vi. The GC will meet at least once in six months.
- 2.6 National Level Executive Committee (NLEC):
 - i. The National Level Executive Committee (NLEC), chaired by Secretary (Sports) will establish a central evaluation and monitoring system;
 - ii. It will advise the Central Government on all matters concerning the implementation of the Scheme
 - iii. It will monitor implementation of this Scheme and recommend course-correction measures.
 - iv. It will review the monitoring and redressal mechanism from time to time and recommend improvements required
 - v. It will advise the Central Government on promoting the widest possible dissemination of information about the Scheme.
 - vi. The NLEC will meet once in three months.

vii. All proposals approved/sanctioned during the preceding quarter will be laid before the NLEC for information and advice thereon.

3. Financial Implications

3.1 The details of recurring expenditure and non-recurring expenditure under Khelo India Scheme, year-wise, are tabulated below:

(Rs. in crore)

S. No.	FINANCIAL YEAR	ES	ESTIMATED EXPENDITURE					
		RECURRING	NON-RECURRING	TOTAL				
1.	2017-18	347	180	527				
2.	2018-19	402	175	577				
3.	2019-20	477	175	652				
TO	ΓAL	1226	530	1756				

3.2 An indicative breakup figure, component wise, both recurring and non-recurring, year-wise is given below:

An indicative breakup figure, year-wise, component wise, both recurring and non-recurring estimated expenditure

(Rs. in crore)

S. No.	Component	2017-18		2018-19		2019-20		Total
		R	NR	R	NR	R	NR	
1	Play Fields Development (NPFAI)	25	0	25	0	25	0	75.00
2	Community Coaching Development	25	5	25	0	25	0	80.00
3	State Level Khelo India Centres	35	0	50	0	75	0	160.00
4	Annual Sports Competitions	70	0	70	0	70	0	210.00
5	Talent Search & Development	60	0	110	0	160	0	330.00
6	Utilization and creation of Sports Infrastructure							
	i. University Centre of Excellence Programme	0	50	0	50	0	50	150.00
	ii. Utilization and creation of Appropriate Sports Infrastructure	0	95	0	95	0	95	285.00
7	Support to National/Regional/State Sports Academies	40	20	40	20	40	20	180.00
8	Physical Fitness of School going Children	25	0	25	0	25	0	75.00
9	Sports for Women	10	0	10	0	10	0	30.00
10	Sports for Peace & Development	15	0	15	0	15	0	45.00
11	Promotion of sports among persons with disabilities	5	10	5	10	5	10	45.00
12	Promotion of rural and indigenous/tribal Games	20	0	15	0	15	0	50.00
13	Monitoring	2	0	2	0	2	0	6.00
14	Technical Support & Capacity Building	15	0	10	0	10	0	35.00
	Total	347	180	402	175	477	175	1756
	Grand Total	527 577 652			52	1756.00		
	(Note : R-	Recurri	ng, NR -	Non-Red	curring)	1		